रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1987 (वैशाख 5, 1909)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1987 (VAISAKHA 5, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 फरवरी, 1987

सं० ए०-19014/1/77-प्रशा०-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० स० 6/21/86-ई० ओ० (एम०एस०/पी० एस०) दिनांक 23-2-87 के अनुसरण में, श्री एल० बी० सिनाटे, उप सचिव को 25-2-87 के अपराह्न से आयोग के कार्यालय में उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

श्रीमती नीता कपूर
उप सचिव (प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 मार्च 1987

स० ए० 32013/2/987-प्रशा०-1—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, सं० लो० से० आ० (कर्मचारी वृन्द) विनियमन, 1958 के विनियमन 7 के अन्तर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियो के अधीन संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थानीय अनुभाग अधिकारी एन० नमाशिवायं को और आगे तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात् 12-3-1987 से 11-6-87 तक अथवा आगामी आदेशो तक, उनमे से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 मार्च 1987

सं० ए० 32014/2/86-प्रशा० 2—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग के श्री जे० एम० शर्मा, अनुसंधान अन्वेषक को 2-3-87 से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आर० एण्ड एस०) के पद पर (सामा० केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'बी' राजपत्रित) रुपए 2000-60-2300-द० अ० 75-3200-100-3500 के वेतनमान में नियुक्त करते है।

एम० पी० जैन
अवर सचिव (प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, के० रि० पु० बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 मार्च 1987

स० पी० सात-1/85-स्थापना-I—राष्ट्रपति निम्नलिखित निरीक्षकों की पदोन्नति पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पु० उपसहायीक्षक/कम्पनी कमाडर/क्वार्टर मास्टर के पदों पर तदर्थ/नियमित रूप में महर्ष नियुक्त करते हैं :—

2 उक्त अधिकारियों ने अपने नामों के आगे दर्शायी गई बटालियन में, तिथियों से पद का कार्यभार संभाल लिया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार		स्थाई रूप	
		बटालियन	चार्ज लेने की तिथि	बटालियन	चार्ज लेने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जी० के० नादर	106 महा० बटा०	18-11-84	ग्रुप के० गोहाटी	11-9-85
2	श्री एम० पी० पोखरियाल	एम० ई० ए० में प्रतिनियुक्ति पर			
3	श्री प्रभात सिंह	106 सहा० बटा०	7-11-84 (अपराह्न)	20 बटा०	18-10-85 (अपराह्न)
4.	श्री टी० बी० नायर	—	—	40 बटा०	12-8-85 (अपराह्न)
5.	श्री रामधन राम	—	—	2 सि० बटा०	29-8-85
6.	श्री करमजीत सिंह	—	—	मिगलस ग्रु० के नाम	31-8-85
7.	श्री सूरत सिंह	—	—	3 सि० बटा०	13-8-85
8.	श्री डी० सी० पन्त	—	—	1 सि० बटा०	15-8-85
9.	श्री त्रिलोक सिंह भाटिया	—	—	4 ,,	31-8-85
10.	श्री जीत सिंह	—	—	78 बटा०	20-8-85
11.	श्री बी० एस० सन्धु	—	—	20 बटा०	30-8-85
12.	श्री एस० पी० उपाध्याय	—	—	4 सिग०	31-8-85
13.	श्री एच० बी० गुरंग	—	—	82 बटा०	26-8-85
14.	श्री मातादीन यादव	110 सहा० बटा०	6-11-84	77 ,,	16-9-85
15.	श्री डी० एम० चौधुरी	115 ,,	7-11-84	जी० सी० दुर्गापुर	7-4- 86
16	श्री सी० डी० प्रसाद	104 ,,	10-11-84 (अपराह्न)	78 बटा०	20-9-85
17	श्री हवा सिंह	105 ,,	6-11-84	77 बटा०	27-10-85
18.	श्री एम० मुरली धरन नायर	114 सहा० ब०	7-11-84	जी० सी० पल्लीस पु०	1-4- 86
19	श्री ओम प्रकाश यादव	107 ,,	6-11-84	80 बटा०	15-4-86
20.	श्री ई० बालन	114 ,,	6-11-84	18 बटा०	17-9-85 (अपराह्न)
21	श्री विग राज सिंह	114 ,,	6-11-84	61 ,,	11-10-85
22	श्री सदा नंद सिंह	(एम० एम० बी० में प्रति०/प्रोफार्मा प्रमो०)			15-4-86
23.	श्री मदन सिंह	109 सहा० बटा०	6-11-84	35 बटा०	1-9-85
24.	श्री आर० पी० यादव	—	—	60 बटा०	21-10-85

1	2	3	4	5	6
25.	श्री रन जीत लाल मीना	107 सहा० बटा०	6-11-84	49 बटा०	16-9-85
26.	श्री पत राम यादव	—	—	64 बटा०	14-8-85
27.	श्री के० बी० छेत्री	110 सहा० ब०	6-11-84	86 बटा०	30-4-86
28.	श्री बी० ए० शूशीलन	108 ,,	7-11-84	21 बटा० ,,	1-4-86
29.	श्री जीत पाल शर्मा	110 ,,	6-11-84	54 ,,	5-9-85 (अपराह्न)
30.	श्री चरन जीत सिंह	105 ,,	6-11-84	27 ,,	13-9-85
31.	श्री मेघराज सिंह	109 ,,	6-11-84	77 ,,	6-9-85 (अपराह्न)
32.	श्री भीम सिंह भाटी	107 ,,	6-11-84	86 ,,	24-9-85
33.	श्री चन्द्र पाल शर्मा	107 सहा० बटा०	6-11-84	14 ,,	10-9-85 (अपराह्न)
34.	श्री एस० पी० यादव	103 ,,	12-11-84	71 ,,	17-10-85 (अपराह्न)
35.	श्री जगबीर सिंह तोमर	109 ,,	6-11-84	60 ,,	15-9-85 (अपराह्न)
36.	श्री धरम पाल शेखावत	,,	,,	64 ,,	25-3-86
37.	श्री भारत सिंह	102 सहा० बटा०	7-11-84	55 ,,	1-4-86
38.	श्री लल्लन सिंह यादव	(एस० एस० बी० में प्रति० पर,)	(प्रोफो० प्रमो०)		30-4-86
39.	श्री जगमाल सिंह	—	—	65 बटा०	6-9-85
40.	श्री मुख्तीयार सिंह	112 सहा० ब०	7-11-84	24 ,,	25-8-85
41.	श्री नेतराम धनकर	103 ,,	7-11-84	49 ,,	10-6-86
42.	श्री भारत पाल	—	—	79 ,,	14-8-85
43.	श्री बी० एस० देव	—	—	7 ,,	15-9-85
44.	श्री जी० डी० जोशी	—	—	एस० जी० सी० म०	28-8-85
45.	श्री पी० सी० जोशी	—	—	1 सिंह बटा०	28-8-85
46.	श्री बसन्त राम	—	—	43 बटा० ,	29-8-85
47.	श्री जी० आर० मदान	—	—	70 ,,	20-8-85
48.	श्री के० करुनाकरन	—	—	83 ,,	19-8-85
49.	श्री जी ० पी० सिंह	—	—	81 ,	31-8-85
50.	श्री एन० पी० श्रीवास्तव	—	—	74 ,,	27-9-85
51.	श्री गजराज सिंह	—	—	82 ,,	28-8-85
52.	श्री मतबर सिंह	—	—	83 ,,	29-8-85
53.	श्री राम सिंह असवाल	—	—	2 सिग० बटा०	26-8-85
54.	श्री हरभजन सिंह	—	—	62 बटा०	19-11-85
55.	श्री शेर सिंह कटोच	—	—	37 ,,	17-8-85
56.	श्री एम० डी० एस० पानीकर ०	—	—	2 सिग० बटा०	20-8 -85
57.	श्री भगवान सिंह	—	—	जी० सी० मोकामा	23-8-85

1	2	3	4	5	6
58.	श्री छागन सिंह . . .	—	—	62 बटा०	16-8-85
59.	श्री कन्हैया लाल . . .	—	—	81 ,,	29-8-85
60.	श्री बच्चा सिंह . . .	—	—	10 ,,	28-8-85 (अपराह्न)
61.	श्री यू० एस० कन्थान . .	—	—	जी० सी० नाग०	4-8-85 (अपराह्न)
62.	श्री के० सी० सुवाहिया . .	—	—	79 बाटा०	14-8-85.
63.	श्री जगन नाथ सिंह . .	—	—	14 ,,	16-8-85 (अपराह्न)
64.	महेन्द्रसिंह . . .	—	—	64 ,,	6-9-85 (अपराह्न)
65.	श्री महेश नन्द भट्ट . . .	—	—	85 ,,	14-9-85
66.	श्री राजेन्द्र प्रसाद . .	—	—	83 ,,	16-8-85
67.	श्री जामन सिंह . . .	—	—	82 ,,	4-9-85
68.	श्री जी० बी० जोशी .	—	—	82 ,,	22-8-85
69.	श्री एच० आर० शर्मा . .	—	—	16 ,,	17-8-85 (अपराह्न)
70.	श्री जी० पी० सिंह . .	—	—	78 ,,	24-9-85
71.	श्री पी० रवीन्द्रन . . .	—	—	79 ,,	2-9-85
72.	श्री जी० पी० सिंह . .	—	—	83 ,,	16-8-85

दिनांक 31 मार्च 1987

सं० ओ० दो० 1585/81-स्थापना—राष्ट्रपति जी ने डाक्टर (श्रीमती) कमलेश सैनी, जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-II बेस हास्पिटल-I केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नई दिल्ली का त्यागपत्र दिनांक 6-2-87 अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

सं० पी० सात-6/86-स्थापना-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित निरीक्षकों की नियुक्ति पदोन्नति पर पुलिस उपाधीक्षक/कम्पनी कमांडर/क्वार्टर मास्टर के पद पर अस्थाई रूप से अगले आदेश जारी होने तक के लिए करते हैं:—

2. उन्होंने अपने पदों का कार्य-भार अपने नामों के आगे दर्शायी गई बटालियनों में, तिथियों से संभाल लिया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	चार्ज लेने की तिथि	बटालियन
1	2	2	4
	सर्वश्री		
1.	हरभजन सिंह	24-1-87	(38 बटा०
2.	एम० बी० जोशी .	13-11-87	82 ,,
3.	आर० एस० बोहरा .	16-1-87	1 सिग० बटा०
4.	पी० एस० मोह० याकूब	9-1-87	1 ,,
5.	देवी दत्त जोशी	20-1-87	81 बटा०
6.	आर० के० शर्मा	9-1-87	62 ,,
7.	बी० के० ध्यानी	9-1-87	आर० टी० सी०
8	राम मूर्ति	9-1-87	जी० सी०गां धी-II नगर
9.	समाई सिंह	30-1-87	40 बटा०
10.	पी० बी० मोहनन	27-1-87	12 ,,
11.	मूल चन्द्र पटयाल	9-1-87	24 ,,
12.	एन० सी० बी० कुंडना	9-1-87	69 ,,
13.	एम० विष्णु दास	15-1-87	45 ,,
14.	मुख राम सिंह	9-1-87	आर० टी० सी०- 1
15.	ख्याली राम यादव	23-1-87 (अपराह्न)	42 बटा०

1	2	3	4
सर्वश्री			
16.	जितेन्द्र पाल सिंह	24-3-87 अपराह्न	48 घटा०
17.	रती राम यादव	9-1-87	73 ,,
18.	बी० एस० साही	23-1-87	87 ,,
19	एस० एस० भोखावत	21-2-87	9 ,,
20.	गियान सिंह	17-1-87	53 ,,
21.	बी० जे० जाकब	24-2-87	60 ,,
22.	गिल्बर्ट ए० अली	9-2-87	आर० टी० सी० III
23.	एच० एन० सिंह	2-2-87 (अपराह्न)	जी० सी० पिन्जोर

अशोक राज महीपति
सहायक निदेशक (स्थापना)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 मार्च, 1987

सं० ई-16014/(6)/1/85-कार्मिक-I/32—सीमा सुरक्षा बल में प्रत्यावर्तन होने के फलस्वरूप, श्री एस० सी० जोशी ने दिनांक 6-3-87 (अपराह्न) को के० औ० सु० ब० यूनिट, सी० पी० टी०, कलकत्ता के सहायक कमाडेंट के पद का कार्यभार छोड दिया।

सं० ई-16014(2)/7/86-कार्मिक-I/33—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर, श्री यू० बी० एस० तियोतिया, सहायक कमाडेंट, के० रि० पु० बल ने दिनांक 8 दिसम्बर, 1986 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, बी० एस० पी०, बोकारो के कमाडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया

दुर्गा माधव मिश्र
महानिदेशक/के०औ०सु०ब०

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
चलार्थ पत्र मुद्रणालय
नाशिक रोड, दिनांक 2 अप्रैल 1987

सं० ई० एस० सी०—1—21/44—महाप्रबन्धक, चलार्थ पत्र-मुद्रणालय इस कार्यालय की दिनांक 11-10-86 की अधिसूचना क्रमांक ई० स० सी०—1/21/1527 से श्री मोहनलाल को भंडार अधिकारी, चलार्थ पत्र मुद्रणालय के रूप में की हुई तद्र्थ नियुक्ति को दिनांक 20 मार्च 1987 से अगले छः महीने तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो, बढाते हैं।

सु०दे० इङ्गुर्जी
महाप्रबन्धक,
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय
आंध्र प्रदेश,

हैदराबाद-500463, दिनांक 31 मार्च 1987

स० प्रशा०—I/पदो०/8—132/86—87/203—निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में 2375—75—3200—ई० बी० —100—3500 रु० के वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी अगले आदेशों तक पदोन्नति दी जाती है पदोन्नति के लिए दिए गये आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर बिना कोई प्रभाव डाले, यदि कोई हो, और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन माने जाएंगे ।

उन्हें चाहिए कि वे अपना विकल्प भारत सरकार का० ज्ञा० सं० एफ/7/1/80—स्थापना पी० टी०I, दि० 26-9-81 की शर्तों के अनुसार पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर दे :

नाम	पद ग्रहण की तारीख
श्री टी० एस० गोपीनाथ राव	24—3—1987 पूर्वाह्न

विजया मूर्ति
वरिष्ठ उप महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)—I, बिहार
पटना, दिनांक 31 मार्च 1987

स० प्रशा० 1 ((लेखा परीक्षा)—1/20—5—1720—महालेखाकार (लेखा परीक्षा)—I, बिहार, पटना, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि (पदभार ग्रहण करने की तिथि) से अगले आदेश तक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ग्रुप—'ख' राजपत्रित पद पर रुपए 2000—60—2300—ई० रो०—75—3200 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में सहर्ष पदोन्नत करते हैं —

नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि
सर्वश्री	
1. प्रबोध नाथ पाण्डेय	17—12—86 पूर्वाह्न
2 श्याम नन्दन दुबे	16—12—86 —वही—
3. शशि भूषण मिश्रा	उपरोक्त
4 नारायण चन्द्र मुखर्जी	17—12—86 पूर्वाह्न
5 विश्वनाथ मिश्रा	उपरोक्त
6. हरि नारायण त्रिपाठी	18—12—86 पूर्वाह्न
7. वैद्यनाथ ठाकुर	19—12—86—वही—
8. यज्ञ नारायण तिवारी	15—12—86 —वही—

ह०/—अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

लेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)

बेंगलूर-560001, दिनांक 11 फरवरी, 1987

सं० स्थापना-1/ए1/86-87/365—केन्द्रीय लोक-सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5(1) के अन्तर्गत जारी की गई सेवा समापन सूचना ।

मैं श्री स० व्र० केघे, महालेखाकार (ले० एवं हक) केन्द्रीय लोक सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 (I) के अनुसरण में श्री एम० आर० विजयकुमार को सूचना देता हूं कि इस सूचना मिल जाने की तरीख से या सूचना प्रस्तुत की जाने की तारीख से, एक महीने के बाद उनकी सेवा समाप्त की जा रही है ।

स० व्र० के घे
नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
महालेखाकार (लेखा एवं हक)
कर्नाटक : बेंगलोर

स्थान—बेंगलोर
दिनांक—

सेवा में,

श्री एम० आर० विजयकुमार

श्री एम० एन० राममूर्ति के सुपुत्र ,

स० 10, "इ" स्ट्रीट

अशोक नगर,

रिचमण्ड टोन,

बेंगलोर-560 025

प्राप्ति स्वीकृति

सेवा समापन की सूचना आज.....दिन मैंने प्राप्त किया है ।

स्थान—बेंगलोर हस्ताक्षर

दिनांक—

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम

कलकत्ता-700001, दिनांक 1 अप्रैल 1987

सं०No Admn1/confirmation/187/3612 dt/18-3-87—महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम, पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित इस कार्यालय के/कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-द्वितीय, पश्चिमम बंगाल के स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारियो को प्रत्येक के सामने अंकित दिनांक से स्थायी रूप से लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है :-

क्र० सं०	नाम	पुष्टि/स्थायित्व दिनांक
	सर्वश्री—	
1.	कृष्णदास बनर्जी	
2.	शरदेन्दु मुखर्जी	1-12-85
3.	देवदत्त वासु	1-1-86
4.	अरुण कान्ती दत्त	1-3-86
5.	निर्मल कुमार मुखर्जी -1	1-4-86
		1-4-86
6.	हिरेन्द्र नाथ राय	29-10-86
7.	शिव नारायण विश्वास	1-11-86
8.	कुमारी बीथिका राय चौधुरी	1-1-87
9.	दिनेश कुमार राय	1-3-87
10.	सुनील कुमार मुखोपाध्याय	1-3-87

सनत कुमार मिश्र
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

सं० प्रशासन-प्रथम/पदोन्नति-93/सहा० लेप० अधिकारी/3657—महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम, पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (लेखा परीक्षा) को 24वी मार्च, 1987 के पूर्वाह्न से अस्थायी और स्थानापन्न रूप से (वर्ग-ख- राजपत्रित 2000-60-2300-दक्षता रोध-75-3200 रुपये वेतन मान पर) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है ।

1. श्री शिवप्रसाद बनर्जी 11
2. श्री अनिल कुमार घोष 5

ये पदोन्नतियां माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कलकत्ता में लम्बित रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन है ।

अधिकारियों को 2ख के शर्तानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 26-9-81 से एक माह के भीतर अपना वेतन 22(क)(1) के अन्तर्गत पदोन्नति के तारीख के दिन से और फिर उसके बाद मूल नियम 22(ग) के अन्तर्गत नीचे के पद पर आगामी वेतन वृद्धि के तारीख के दिन से या सीधे पदोन्नति के तारीख के दिन से निर्धारण के लिए विकल्प दे सकते है ।

सनत कुमार मिश्र
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (के०) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1987

1	2
सं० प्रशा० I/4(4)86-(1)	स्थानांतरण होने पर श्री एम० एम० अथिसाया कुमार ने 6-2-86 (पूर्वाह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), बैंगलोर-1 का कार्यभार छोड़ दिया और 6-2-86 (पूर्वाह्न) को ही उसी हैसियत से बंगलोर-II का कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(2) एटोमिक ईनर्जी विभाग, बम्बई में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर श्री जी० नारायनस्वामी ने 3-1-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), देहरादून का कार्यभार छोड़ दिया ।
—यथोक्त—	(3) प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर श्री एम० जे० मिर्जा ने 29-4-86 (पूर्वाह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), चण्डीगढ़-II का कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(4) स्थानान्तरण होने पर श्री जी० आर० बारी ने 12-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०), शिलचर का कार्यभार छोड़ दिया और 19-5-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से डिब्रूगढ़ में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(5) स्थानांतरण होने पर श्री आर० के० रुस्तोगी ने 6-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), रोहतक का कार्यभार छोड़ दिया और 7-5-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से चण्डीगढ़ में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(6) स्थानांतरण होने पर श्री जान बागे ने 30-4-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०), धनबाद का कार्यभार छोड़ दिया और 2-5-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से रानीगंज में कार्यभार संभाल लिया ।
सं० प्रशा० I/4(4)86-(7)	स्थानांतरण होने पर श्री खजान सिंह ने 20-5-86 (अपराह्न) का सहायक श्रमायुक्त (के०), आदिपुर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 2-6-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से जम्मू में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(8) स्थानांतरण होने पर श्री सूरज प्रकाश ने 26-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०), मंचेरियल कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 3-6-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से देहरादून का कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(9) स्थानान्तरण होने पर श्री जे० पी० श्रीवास्तव ने 22-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०) रायपुर का कार्यभार छोड़ दिया और 26-5-86 (अपराह्न) को उसी हैसियत से नागपुर में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(10) स्थानांतरण होने तर श्री डी० एम० धिवाल ने 2-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), हैदराबाद कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 5-6-86 (अपराह्न) को उसी हैसियत से विशाखापत्तनम में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(11) स्थानांन्तरण होने पर श्री एम० आर० दास ने 4-6-86 (पूर्वाह्न) को मुख्य श्रमायुक्त (के०) मुख्यालय में सहायक श्रमायुक्त (कें०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 10-6-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से दिल्ली-1 का कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(12) स्थानांतरण होने पर श्री एम० टी० रूघानी ने 26-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०)

1	2
	नागपुर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 5-6-86 (अपराह्न) को उसी हैसियत से रायपुर में कार्यभार संभाल लिया ।
सं० प्रशा० 1/4(4)86	(13) स्थानांतरण होने पर श्री ओ० पी० धर ने 30-5-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०) जम्मू का कार्यभार छोड़ दिया और 11-6-68 (अपराह्न) को उसी हैसियत से अजमेर में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(14) स्थानातरण होने पर श्री जान थेगनमथिल ने 25-4-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०) कार्यालय, त्रिवेन्द्रम का कार्यभार छोड़ दिया और 16-6-86 (अपराह्न) को उसी हैसियत से बंगलौर-1 का कार्यभार संभाल लिया ।
-यथोक्त-	(15) स्थानांतरण होने पर श्री आर० एम० चेलानी ने 11-6-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०) अजमेर का कार्यभार छोड दिया और 23-6-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से लखनऊ में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(16) स्थानांतरण होने पर श्री एम० एस० चौधरी ने 10-6-86 (पूर्वाह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०), दिल्ली-1 कार्यालय का कार्यभार छोड दिया और 11-8-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से बम्बई में कार्यभार संभाल लिया।
—यथोक्त—	(17) स्थानातरण होने पर श्री आर० सी० अग्रवाल ने 30-6-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०) राची कार्यालय का कार्यभार छोड दिया और 14-7-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से हैदराबाद में कार्यभार संभाल लिया ।
सं० प्रशा० 1/4(4)86-(18)	प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर श्री जी० नारायनस्वामी ने 14-8-86 (पूर्वाह्न) को सहायक श्रमायुक्त (के०), त्रिवेन्द्रम कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(19) स्थानातरण होने पर श्री रामायण सिह ने 20-8-86 (अपराह्न) को मुख्य श्रमायुक्त (के०) मुख्यालय मे सहायक श्रमायुक्त (के०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 25-8-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से राची में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(20) स्थानान्तरण होने पर श्री सी० शिवरामकृष्ण ने 5-6-86 (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०) विशाखापत्तनम कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 26-6-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से एरनाकुलम में कार्यभार संभाल लिया ।
—यथोक्त—	(21) स्थानातरण होने पर श्री आर० एल० डामोर ने 16-1-87, (अपराह्न) को सहायक श्रमायुक्त (कें०), धनबाद का कार्यभार छोड़ दिया और 23-1-87 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से अहमदाबाद में कार्यभार संभाल लिया ।

एस० गुरप्पा
अवर सचिव

कार्यालय, महानियंत्रक
एकस्व, रूपांकन और व्यापार चिह्न

बम्बई-400 020, दिनाक 31 मार्च 1987

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13)/टी० एम० आर०/87/343—राष्ट्रपति ने, श्री पी० एन० हावनूर को, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार कार्यालय, बम्बई मे कार्यरत है, पत्र संख्या सी० जी०/एफ०/14/7(13)टी० एम० आर०/87 के अनुसार व्यापार चिह्नो के "उप रजिस्ट्रार" (ग्रुप 'ए' राजपत्र अधिकारी) के पद पर, वेतनमान रुपए 1300-1700/- की श्रृंखला

में, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री कार्यालय, बम्बई में एक वर्ष की अवधि के लिए या भविष्य में स्थायी पद नहीं भर लिया जाता तब तक के लिए दिनांक 31 मार्च 1986 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

आर० ए० आचार्य
महानियंत्रक,
एकस्व, रूपांकन और व्यापार चिह्न

इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० ए-19012(232)/87-स्था० ए०—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर, श्री एम० जे० कदम, अधीक्षक की भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप में सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर दिनांक 20 मार्च 1987 के अपराह्न से पदोन्नति की गयी ।

जी० सी० शर्मा
सहायक प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1987

सं० ए-19012/1/71-प्र० —विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के स्थायी क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी श्री एस० के० मिश्रा, जो प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, का 10 जनवरी 1987 (अपराह्न) को निधन हो गया ।

श्याम सिंगला
उपनिदेशक : प्रशासन :
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1987

सं० ए० 11012/1/83-ई० पी० आई०—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश) के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गयी तारीख से सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के स्थायी पदों पर स्थायी आधार पर नियुक्त कर दिया है :—

क्र० सं०	नाम	दिनांक
1.	श्री एस० एम० साहा	19-4-82
2.	श्रीमती एस० बी० शर्मा	19-4-82
3.	डा० जी० सरण	01-9-82

जैस्सी फ्रांसिस
उप निदेशक प्रशासन (पी० एच०)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
कार्मिक प्रभाग
बम्बई, दिनांक 1 अप्रैल 1987

सं० डब्ल्यू०/62/स्था० 2/1794—श्री किशिन साधुराम वाधवानी ने सहायक कार्मिक अधिकारी पद का पदभार 28-2-87 अपराह्न को अधिवर्षिता पर छोड़ दिया ।

के० वेंकटकृष्णन
उप० स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय और भंडार निदेशालय
बम्बई-400 085, दिनांक 26 मार्च 1987

सं० क्र०भ०नि०/41/18/85-प्रशा०/13963—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने स्थायी कनिष्ठ क्रय सहायक तथा स्थानापन्न क्रय सहायक, श्री अरविंद कुमार प्रभुदास मवाली को इसी निदेशालय में दिनांक 3-2-1987 (पूर्वाह्न) से 6-3-1987 (अपराह्न) तक रुपए 2000-60-2300 द० रो०-75-3200-100-3500 के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है, यह नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी श्री ए० एच० सदारंगानी के स्थान पर की गयी है जिन्हें उक्त अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की है ।

बी० जी० कुलकर्णी
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग
हैदराबाद-500 016, दिनांक 27 मार्च 1987

सं० : प० ख० प्र०-8/7/85-भर्ती निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री जे० एल० चौधरी को उसी प्रभाग में श्री एल० के० सिंघा, सहायक लेखा अधिकारी को छुट्टी मंजूर किए जाने पर 12-1-87 के पूर्वाह्न से 25-2-87 तक तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते है ।

अ० व० खान,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग
सिविल इंजीनियरी विभाग
बंगलौर-560 009, दिनांक 16 मार्च 1987

सं० 6/39/84-सि० इं० प्र० (मुख्या) मुख्य इंजीनियर, सिविल —इंजीनियरी प्रभाग, अन्तरिक्ष विभाग, श्री बी० ईश्वरप्पा को

सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अन्तरिक्ष विभाग, बंगलौर में इंजीनियर-एम० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 06-01-1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० ई० रविन्द्रानाथन
प्रशासन अधिकारी-I।
कृते मुख्य इंजीनियरी

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० ए-19012/1(43)/87-स्थापना-एक—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग, विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिशों पर श्री सुनील कुमार पर्यवेक्षक (बेतार) को सहायक इंजीनियर (बेतार) के पद पर वेतनमान 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 में स्थानापन्न क्षमता में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 1987 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

श्री सुनील कुमार 28-2-1987 से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्री महादेव अय्यर,
अवर सचिव

नई दिल्ली-110066, दिनांक 27 मार्च 1987

सं० ए-19012/1088/85-स्था० 5—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिशों पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता के ग्रेड में रुपए 2000-60-2300 द० रो०-75-3200-100-3500/- के वेतनमान में 15-5-85 की पूर्वाह्न से अग्र आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता के ग्रेड में उपरोक्त तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

दिनांक 30 मार्च 1987

सं० ए-19012/1175/86-स्था० 5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री एम० एस० हंसा, कनिष्ठ अभियन्ता को अतिरिक्त सहायक निदेशक /सहायक इंजीनियर (इंजीनियरिंग) के ग्रेड में 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500/- रुपए के वेतनमान में 6-3-1987 की पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्ण अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 मार्च 1987

सं० ए-19012/1176/86-स्थापना-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री मनोज कुमार राय, कनिष्ठ अभियन्ता को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर (इंजीनियरिंग) के ग्रेड में 2000-60-2300-दक्षता रोध०-75-3200-100-3500/-रुपए के वेतनमान में 18-8-1986 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्ण अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए-19012/1178/86-स्थापना-पांच-अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री अशोक कुमार चक्रवर्ती, कनिष्ठ अभियन्ता को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर (इंजीनियरिंग) के ग्रेड में 2000-60-2300-दक्षता रोध०-75-3200-100-3500/-रुपए के वेतनमान में 1-9-1986 की पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्ण अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० आर० सिंगल,
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1987

सं० 1/1/69-ई० सी० 9—इस विभाग के वरिष्ठ वास्तुक, श्री आर० के० अग्रवाल वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर 31-3-1987 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत होते हैं।

सं० 1/57/69 ई० सी० 9—इस विभाग के तकनीकी अधिकारी श्री एल० एम० चौधरी, वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर 31-3-87 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत हो रहे हैं।

पृथ्वीपाल सिंह
प्रशासन उप-निदेशक

उद्योग मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

कार्यालय कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राघवेन्द्रा टैक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० 7927/560(3)/87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राघवेन्द्रा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पेनमेन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० 2022/560(5)/87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पेनमेन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इण्डस्ट्रीयल मेनेजमेंट टैक्नीकल कन्सलटैंस सरविसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० 7279/560(5)/87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डस्ट्रीयल मेनेजमेंट टैक्नीकल कन्सलटेंसी सरविसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और गुडविल बल्क केरियर्स लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० 5663/560(3)/87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर गुडविल बल्क केरियर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और आत्तूर कन्निका परमेश्वरी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 31 मार्च 1987

सं० 168/560(5)/87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आत्तूर कन्निका परमेश्वरी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

वी० सी० दवे
कम्पनीयों का सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स एवन कल्ब लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

सं० सांख्यिकी/1299/1245—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स एवन कल्ब लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स फार इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० सांख्यिकी/1261/1248—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स फार इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स अनुराग एण्टर-प्राईजेस प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० सांख्यिकी—1736—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवसान पर मेसर्स अनुराग एण्टरप्राईजेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जावेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

वी० प्र० सिंघल
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान, जयपुर

फार्म आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 10 मार्च, 1987

निर्देश स० संगरूर/1/86-87—अत. मुझे एम० एन० ए० चौधरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00 000/- रु से अधिक है

और जिसकी स० बिल्डिंग (476 वर्ग गज) का 1/2 भाग है तथा जो नजदीक पटियाला गेट, सगरूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सगरूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्षयमान प्रतिफल से, ऐसे क्षयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रोमिला कुमारी जैन
विधवा श्री प्रीतम सिंह जैन
निवासी मकना पटिलाया गेट, सगरूर ।
(अन्तरक)

(2) श्री भगवन्त राय गोयल पुत्र स्व० जीवा राम गोयल
श्रीमती परसनी गोयल पत्नि श्री भगवन्त राय गोयल
श्री हरीश कुमार गोयल
पुत्र श्री भगवन्त राय गोयल
श्रीमती नीना गोयल पत्नि श्री हरीश कुमार गोयल
श्रीमती शशि कथूरिया पत्नि श्री जीत कुमार कथूरिया
निवासी कृष्णा बस्ती सगरूर तथा
श्री अमित गुप्ता, श्री मोहित गुप्ता
पुत्रान डा० अमृतलाल गुप्ता,
निवासी पावर हाउस रोड़, भटिंडा ।
(अन्तरिती)

(3) स्टेट बैंक आफ इंडिया सगरूर
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग (476 वर्ग गज) का 1/2 भाग जो कि नजदीक पटियाला गेट, सगरूर मे स्थित है (अर्थात वह जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सगरूर के विलेख सख्या 876 माह जुलाई, 1986 के तहत दर्ज है) ।

एम० एन० ए० चौधरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, लुधियाना

दिनाक 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० संगरूर/1ए/86-87—अतः मुझे एम० एन० ए० चौधरी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग (476 वर्ग गज) का 1/2 भाग है तथा जो नजदीक पटियाला गेट, संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय संगरूर में, रजिस्ट्रीकरण का अधिनियम 1908 (1908 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तस्क (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रीत महेन्द्र सिंह जैन
पुत्र श्री प्रीतम सिंह जैन,
निवासी सकना पटियाला गेट, संगरूर ।
(अन्तरक)

(2) श्री भगवन्त राय गोयल
पुत्र स्व० श्री जीवा राम गोयल,
श्रीमती प्रसन्नी गोयल पत्नि भगवन्त राय गोयल
श्री हरीश कुमार गोयल पुत्र श्री भगवन्त राय गोयल ।
श्रीमती नीना गोयल पत्नि श्री हरीश कुमार गोयल, श्री मति गशि कयूस्या पत्नि श्री जीत कुमार कयूरिया श्री अमित गुप्ता, श्री मोहित गुप्ता, पुत्रान डा० अमृत लाल गुप्ता, निवासी पावर हाऊस रोड़, भटिंडा ।
(अन्तरिती)

(3) स्टेट बैंक आफ इंडिया संगरूर
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,** के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग (476 वर्गगज) का 1/2 भाग जो कि नजदीक पटियाला गेट, संगरूर में स्थित है । (अर्थात वह जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, संगरूर के निलेख संख्या 877 माह जुलाई, 1986 के तहत दर्ज है) ।

एम० एन० ए० चौधरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2431/एक्यू० रेज–3/कलकत्ता/86–87—अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 11ए है तथा जो पाम एवेन्यु, कलकत्ता में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय स० आ० आ० निरीक्षण अर्जन रेंज–3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर) अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) के० एन० प्रोपर्टीज प्रा० लि०
(अन्तरक)

(2) मेसर्स पाम प्रोपर्टीज एन्ड ट्रेडर्स प्रा० लि०
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 8ए, क्षेत्र 2696 व० फुट।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3,
52, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता–16

तारीख : 2–3–1987
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2432/एक्यू० रेंज-3/कलकत्ता/86-87--

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 11ए है तथा जो पाम एवेन्यू कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-7-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) के० एन० प्रोपर्टीज प्रा० लि०।

(अन्तरक)

(2) नीता अग्रवाल और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,** के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 67बी, क्षेत्र 1787 वर्ग फुट।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

दिनांक : 2-3-1987
मोहर :

इक्विप बाई टी. एन. एस. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2433/अर्जन रेंज–3/कलकत्ता/86–87––

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 10 वालीगंज प्रेस इष्ट और 203, 204, 205ए 207 और 207ए राम बिहारी एवेन्यु 7 और 161 मुईनदी लेन 8/3 एवं 43 मीरणापुर स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :––

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :––

(1) कबीर हुसैन अहमद ।

(अन्तरक)

(2) मीनाक्षी कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :––

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :––इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुल क्षेत्र 63 बिघा, 19 का० ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3,
54, रफी अहमद किदवाईरोड़,
कलकत्ता–16

तारीख : 2–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई० टी०.एन०.एस०.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2434 अर्जन रेंज–3/कलकत्ता/86–87––

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० 11ए है तथा जो पाम एवेन्यु कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज–3, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) के० एन० प्रोपर्टीज प्रा० लि०
(अन्तरक)

(2) एटोमाक इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि०
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 6डी
क्षेत्र 2758 वर्गफुट ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज–3,
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता–16

दिनांक : 2–3–1987
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2435/अर्जन रेंज–3/ कलकत्ता/86–87—अतः मुझे आई० के० गायेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 216 है तथा जो आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) असगर अली ग्याजंगी और अन्य ।

(अन्तरक)

(2) भारतीय काटार हेमार लि०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ,के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आनुपातिक जमीन सह प्लाट कुल क्षेत्र 1450 वर्ग फुट ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3
54, रफी अहमद किदवाई रोड
कलकत्ता–16

तारीख : 2–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2436/अर्जन रेंज-3/कलकत्ता/86-87--अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17 है तथा जो कालीगंज पार्क रोड़, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आरकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-3 में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-7-86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) एकुरेट इन्वेस्टमेंट कम्पनी और अन्य (अन्तरक)

(2) छोटा टिगूराई टी एस्टेट प्रा० लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 25 क्षेत्र 3750 वर्ग फुट।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3
54 रफी अहमद किदवाई रोड़
कलकत्ता-16

दिनांक : 2-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन., एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2437/अर्जन रेज–3/कलकत्ता/86–87––

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 11ए तथा जो पाम एवेन्यु, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :––

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :––

(1) के० एन० प्रापर्टीज प्रा० लि०
(अन्तरक)

(2) प्रदीप कुमार बागरिया (एच यू एफ)
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :––

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :––इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट नं० 4डी,
क्षेत्र 1927 वर्ग फुट।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3
54, रफी अहमद किदवई रोड़,
कलकत्ता–16

दिनांक : 2–3–1987
मोहर :

[फा. सं. आई. टी. एन. एच.]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3 कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2438/अर्जन रेंज–3/कलकत्ता/86–87––अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 14एई तथा जो गुरू संदुश रोड़, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अंतरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रवीन्द्र नाथ टैगोर

(अन्तरक)

(2) कुमार प्रोपर्टीज एन्ड लीजिंग कं० लि०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुल जमीन 18 कण्ठा 8 छटांक

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3
54 रफी अहमद किदवई रोड़,
कलकत्ता–16

दिनांक : 2–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2439/अर्जन रेंज-3/कलकत्ता/86-87-

अतः मुझे, आई० के० गायेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17 है तथा जो कालीगंज पार्क रोड़, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 14-7-86

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त आधनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एकुरेट इन्वैस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०।
(अन्तरक)

(2) एथीग्रवसु एस्टेट प्रा० लि०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2एन,
17, कालीगंज पार्क रोड़, कलकत्ता।
क्षेत्र 3075 वर्ग फुट।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3
54, रफी अहमद किदवई रोड़
कलकत्ता-16

तारीख : 2-3-1987
मोहर :

हस्त आई.टी.एस.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2440/अर्जन रेंज–3/कलकत्ता/86–87—अतः मुझे आई० के० गायेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो धावा टाली गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) शेख महम्मद दशसेन अहमद ।

(अन्तरक)

(2) सीमाश्री कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एग्रिमेंट तारीख 23–4–1986 अनुसार सम्पत्ति ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, 54, रफी अहमद किदवई रोड़,
कलकत्ता–16

दिनांक : 2–3–1987
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

नाइल अनुक्रमांक

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 मार्च, 1987

निदेश सं० 2441/अर्जन रेंज-3/कलकत्ता/86-87—

अतः मुझे आई० के० गायेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7बी है तथा जो एल० बी० रोड़, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-7-1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दे० दत्त इन्टरप्राइज ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स एम० मुरारका फाइनान्स लि० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 61, क्षेत्र 1300 वर्गफुट ।

आई० के० गायेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3
54, रफी अहमद किदवई रोड़
कलकत्ता-16

दिनांक : 2-3-1987
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई/35245/8-687—अतः मुझे एन० एम० राव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० प्लेट न० 202 मंगल रसूती, खार, बम्बई–52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्रट्री है, तारीख 3–7–1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) वंधना ट्रेडर्स ।

(अन्तरक)

(2) पार्वती बैन प्रेमकुमार बीहालाबी

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी सम्बन्धित द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 202, जो दूसरी मंजिल मंगल स्मृती पत्रकार धुरंधर रोड़, खार बम्बई–400052 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई/2बी/37ईई/35245 86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एम० एम० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–2, बम्बई

दिनांक : 3–3–1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च, 1987

निदेश सं० अई-2बी/37ईई/36349/86-87—अतः मुझे एम० एस० राय

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 503, कोशल, डेक्कम सोसायटी, खार, बंबई-52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क,ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बंबई में रजीस्ट्री है, दिनांक 4-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या, धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्रीमती विजयम नारायन
(अन्तरक)

(2) श्री मोहित तलवार और श्रीमती अंजु तलवार
(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 503 जो पांचवीं मंजिल, ओल्ड डेक्कम सोसायटी को० आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जुलियट पार्क, खार, बम्बई-400052 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-2बी/37ईई/36349/86-87 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 4-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एम० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 3-3-1987
मोहर :

[रूप आई. टी. एन. एस. ----]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई/36522/86–87—अतः मुझे, एम० एस० राय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 17, प्रमसे, सान्ताक्रुज (प०) बम्बई-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 11–7–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को विचारण प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसको विचारण प्रतिफल से, ऐसे विचारण प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वेविन्दर सिंह पग्रीण

(अन्तरक)

(2) श्रीमती निर्माला प्रवीन कुमार सीमारिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 17, जो दूसरी मंजिल, प्रमसे 60 जे० के० मेहता रोड़, सान्ताक्रुज (प०) बम्बई–400054 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई–2बी/37ईई/36522/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 11–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

दिनांक : 3–3–1987
मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई/36615/86–87— अतः मुझे, एम० एस० राय

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी म० फ्लैट नं० 12, गगोत्री, खार, बम्बई–52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजिस्ट्री है तारीख 14-7-86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित दुरुद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कौशल्याबाई पी० मोटवानी ।

(अन्तरक)

(2) श्री हरीचन्द ए० माट्टा और
श्री हेमराज ए० माटटा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 12 जो गगोत्री पाचवा रोड, फीश मार्केट के पास, खार बम्बई–500052 मे स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई–2बी/37ईई/36615/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 14–7–86 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एम राय
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज–2बी, बम्बई

दिनाक : 3–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई–2बी/37ईई/36890/86–87—अतः मुझे, एम० एस० राय

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 8, दी पेनोरेमीक व्हीपू, खार, बम्बई–52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 25–7–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मार्गरिट मसकारेंस ।

(अन्तरक)

(2) लीयो अथाईड और लारा अथाइड ।

(अवन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 8 जो दूसरी मंजिल, दी पेनोरेमीक व्होंयू को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 30 गोल्फ लिक्स पाली हिल रोड, खार, बम्बई–400052 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि क्रम सं० अई०-2बी/37ईई/36890/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 25–7–86 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

दिनांक : 3–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई–2बी/37ईई/35212/86–87—अतः मुझे, एम० एस० राय

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट न० 14 गोल्डन पीक खार, बम्बई, 52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 299 क, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्री है, तारीख 3–7–86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधाकीशोन विजन ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कौशल्याबाई पर्सराम मोटवानी ।

0 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों सूचना पर की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 14, जो चौथी मंजिल, गोल्डन पीक को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 316 बी, डा० अम्बेडकर रोड, खार, बम्बई–400052 में स्थित है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज–2बी, बम्बई

दिनांक : 3–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 मार्च 1987

निदेश सं० अई–2/37ईई/37057/86–87––अतः मुझे, एस० एस० राय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 201, क्यू० पीठ अपार्टमेंटस, सान्ताक्रुज (प), बम्बई–52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269-क, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है, दिनांक 28–7–1986

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और वह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, जिसके उपरथान प्रतिफल है, ऐसे उपरथान प्रतिफल का बारह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए.

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ब्लेज़ एडवर्टाइजींग प्राइवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स मखिजा वोहरा बिल्डर्स ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन की सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी आक्षेपों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 201, जो क्यूपीठ अपार्टमेंट्स, सभार को०-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 66ई लिंकिंग रोड, सान्ताक्रुज (प), बम्बई–400052 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–2/37ईई/37057/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनाक 28–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–2, बम्बई

दिनांक : 3–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 मार्च 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई/35246/86-87 अतः मुझे, एम० एस० राय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट सं० 401, अन्ना अपार्टमेंटस सान्ताक्रुज (प), बम्बई–54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क,ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है, दिनांक 3–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सीप्पी एसोसिएट्स

(अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र कुमार ओझानी और श्रीमती सुनिता अशोक कुमार ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

"फ्लैट सं० 401, जो अन्ना अपार्टमेंट्स, 14, नेल्ल एवेन्यू, सान्ताक्रुज (प), बम्बई–400054 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–2बी/37ईई–35246/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

दिनांक : 5–3–87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

,अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई–36267/86–87––

अतः अमुझे, एम० एस० राय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लोट सं० 648, सी० एस० सं० नं० ई/1, खार, बम्बई मे स्थित (है और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 कख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्री है, दिनांक 4–7–1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुरेन्द्रकुमार हरीगोविंददास भूगर्वशास्त्री । (अन्तरक)

(2) मेसर्स एवेक्स कन्स्ट्रक्शन । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

"जमीन का हिस्सा जिसका प्लोट नं० 648, एस० एस० नं० 7, सी० टी० सर्वे सं० ई–1, खार, बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–2बी/37ईई–36267/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 4–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

दिनाक : 5–3–1987

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–2बी/37ईई–36412—अतः मुझे, एम० एस० राय,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 1, सचिन दा स्ट्रेनस, सान्ताक्रुज (प), बम्बई–54 में में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप) से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है, दिनांक 3–7–1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स आर्टस मोडुल इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक

(2) मेसर्स नेशनल रेडीग्रो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स को० लिमिटेड । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 1, जो तल मंजिल, सचिन दा स्ट्रेनस, प्लो ट सं० 32, गजदार पार्क स्कीम, नोर्थ एवेन्यू, सान्ताक्रुज ('प'), बम्बई 400054 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क० सं० अई–2बी/37ईई–36412/86–87 और जो सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एम० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–2बी, बम्बई

दिनांक : 5–3–1987
मोहर :

फ्लैट नं. ई.एच.एच. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई-1(सी)/37ईई-21/12201/85-86:—अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 43, मेरी लेंड, वर्ली, बम्बई 18 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्री है, तारीख 14-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीश विर्धन लल्ला (अन्तरक)
2. श्रीमती ज्योति रामरख्यानी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 43, जो दूसरी मंजिल, मेरी लेंड, 46, डॉ आर० जी० थडानी मार्ग, वर्ली, बम्बई-400018 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क सं० अई-1/सी/37ईई-10593/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 14-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–1सी/37ईई–10/11992/85–86––

अतः मुझे ए० के० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 112, हिंदू कालोनी, दादर बम्बई में स्थित (है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्री है दिनांक 8–7–1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :––

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स अलका कनस्ट्रक्शन कं० ।

(अन्तरक)

2. श्री वालजी कुवरजी छेडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 112, जो चौथी लेन, हिन्दू कालोनी, सर्वे नं० III/10, दादर, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई–1सी/37ईई/10523/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8–8–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 (सी), बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई-1सी/37ईई-12021/85-86—अतः मुझे ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० डी०-1, कावेरी नीता माटंग, बम्बई-19 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजीस्ट्री है दिनांक 8-7-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० बी० एस० मनीयन ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नीला प्रतापराज मेहता ।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लेट नं० डी-1, जो चौथी मंजिल, कावेरी नीता को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 519, एच० आर० महाजनी मार्ग, माटूंगा, बम्बई-400019 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई-1सी/37ईई-10532/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-7-1986 को रजीस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–1सी/37ईई–12068/85–86––

अतः मुझे ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 17, आशिश दादर, बम्बई-25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजीस्ट्री है तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तारक (अन्तरकों) और अन्तारिती (अन्तारितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स आर्तिका शर्ट वर्कस ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स यॉक कोरपोरेशन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

यूनिट नं० 17, जो आशिश को० आप० इंडस्ट्रियल इस्टेट लिमिटेड, गोखले रोड़ (साउथ), दादर, बम्बई-400025 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई–1सी/37ईई–10553/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 14–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बंबई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई-37-ईई-36625/85-86--

अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० बी/5, दी डिग्नीटी, माहीम, बम्बई-16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजीस्ट्री है तारीख 14–7–1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० राजेन्द्र धूंदराज काले और श्रीमती विद्या माधव काले ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुन्दर तोलाराम भगवारी और श्रीमती भारती सुन्दर भगवारी ।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लेट नं० बी/5, जो दी डिग्नीटी प्रामायसेस को० आप० हाउसिंग सोसायटी, तिसरी मंजील, 36 मोगल लेन, माहीम बम्बई-400016 में स्थित है ।

अनुसूच जैसा कि क्र० सं० अई–1सी/37ईई-6625/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 14–7–1986 को रजीस्ट्रड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

तारीख : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई—1सी/37ईई—36473/85—86—

अतः मुझे ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पहली मंजिल, ऋषिकेश अपार्टमेंट, ओल्ड प्रभादेवी रोड़, बम्बई-25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधिन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजीस्ट्री है तारीख 10—7—1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दूरा फोम इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) इंडियन बैंक ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पहली मंजिल पर प्रीमायसेस जो ऋषिकेश अपार्टमेंट, सर्वे नं० 874, टी. पी० एस, 4, माहीम, ओल्ड प्रभादेवी, रोड, बम्बई—400025 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई—1सी/37 ईई—36437/85—86 यऔर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 10—7—1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1सी, बम्बई

तारीख : 9—3—1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई-1सी/37ईई-13/12028/85-86:--

अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या जमीन का हिस्सा, रावली हिल अगर, वडाला, बम्बई में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क,ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्री है, तारीख 8-7-1986,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कल्पक डेवलपमेंट कारपोरेशन।

(अन्तरक)

2. जे० के० केमीकल्स लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जिसका रावली हिल नगर, गवर्नमेंट सॉल्ट पेन डिविजन, शेख मिस्त्री रोड, वडाला, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई-1सी/37ईई-10536/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण,)
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज 1 सी, बम्बई
बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई–1सी/37ईई-14/12062/85–86:— अत मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 603, मेरी लेंड, कोरनर, सायन (पू०), बम्बई–22 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है, तारीख 8–7–1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री अशोक चन्द्रशेखर वैद्य।
(अन्तरक)

2. श्रीमती वैदेही रामचन्द्र डोगरे।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 603, जो छठवीं मंजिल, मेशीलेंड कोरनर, प्लाट नं० 39, सायन, (पू), बम्बई–400022 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई–1 सी/37ईई/10550/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

[फार्म आई.टी.एन.एस.-----]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1-सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं अई-1सी/37ईई-16/12069/85-86:—अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 14, विनस सोसायटी, वर्ली, बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है, तारीख 8-7-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रसछैर्ज लाल दिनानाथ वछार।
(अन्तरक)
2. श्रीमती क्वीनी मसकार्नेस और अन्य।
(अन्तरिती)
3. अन्तरक
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 14, जो चौथी मंजिल, 50-जी, विनस को-आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बम्बई 400018 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई-1 सी/37ईई-10550 ग/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रकप जाई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

दिर्देश स०अई-1 /सी/37ईई-17/12104/85-86 — अत. मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख **के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/- रुपये से अधिक है**

और जिसकी संख्या फ्लैट न० 101, मनीशा अपार्टमेंट, प्रभा देवी, बम्बई 25 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्री है तारीख 14-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृष्णा लाल चन्द पंजाबी

(अन्तरक)

2. श्रीमती कविता एस० राजपाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि **बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों** में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 101, जो, मनीशा अपार्टमेंट, 924, आप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क स० अई-1 सी/37ईई-10560/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 14-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

दिनाक : 9-3-1987
मोहर.

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई-1 सी/37ईई-18/12113/85-86.—अत मुझे, ए० के० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 1, शान अपार्टमेंट, काशीनाथ धुरू रोड, दादर, बम्बई-28 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1901 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में, रजिस्ट्री है, तारीख 14-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल की पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अब अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती लक्ष्मी यी० बुधानी
(अन्तरक)

2 श्री राजेन्द्र जयन्ती लाल दोशी और अन्य
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी** अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, जो ग्यारहवीं मंजिल, शान अपार्टमेंट, काशीनाथ धुरू रोड, दादर, बम्बई-400028 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई-1 सी/37ईई-10561/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रकरण आई.डी.एम.एल.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० अई–1/सी/37ईई–23/12166/85–86:– अतः मुझे ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट ए 1/7, बिल्डिंग, समधीन सोसायटी, बी० परूलकर मार्ग, बम्बई–28 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजिस्ट्री है, तारीख 14–7–1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० व्ही० शेटी, ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती के० एम० साठे और अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० ए 1/7, जो तीसरी मंजिल, ए बिल्डिंग का पहला विंग, समधीन को–आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बी परूलकर मार्ग, दादर, बम्बई–4000028 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई–1/सी 37 ईई–10584 85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–1सी/37-ईई-7/11930/85–86--

अतः मझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 7, विनस सोसायटी, आर० जी० थडानी मार्ग, वली, बम्बई–18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधिन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 1–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंचम प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शीयामा मेहता ।

(अन्तरक)

(2) श्री हरीओम नीगम ।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम,, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 7, जो दूसरी मंजील, प्लोट नं० 49, विनस को०-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आर० जी० थडानी मार्ग, वली, बम्बई-400018 में स्थित है ।

अनुसूचि जैसा की फ्र० सं० अई–1सी/37ईई–10505/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–1सी/37ईई–22/12208/85–86––

अतः मुझे ए० के० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा-269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जमिन का हिस्सा तल और 3 मंजील इमारत के साथ, 323–डी, डा० बी० ए० अम्बेडकर रोड, माटूंगा, बम्बई–19 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नटवर लाल मनीलाल शाह ।

(अन्तरक)

(2) श्री रविन्द्र नटवरलाल शाह ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमिन का हिस्सा तल और 3 मंजील इमारत के साथ जो 323–डी, डा० बी० ए० अम्बेडकर रोड, माटूंगा, बम्बई-400019 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–1सी/37ईई–10596/ओ।जो सक्षम प्राधिकारी, बंबई द्वारा दिनांक 14-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई–1सी/37ईई–8/11948/85–86

अतः मुझे ए० के० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 22–ए, दूसरी मंजील, दादर पश्चिम को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, काशीनाथ ध्रुव रोड, बम्बई–28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका आयकर अधिनियम, 1901 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 1–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) हरीश कुमार मूनमूनवाला । (अन्तरक)

(2) अनिल के०संघानी । (अन्तरिती)

(3) अन्तरिती । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 22–ए, जो दूसरी मंजील, दादर पश्चिम को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड काशीनाथ ध्रुव रोड, बम्बई-400028 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–1सी/37ईई–10510/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्रक्रम आई.टी.एस.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० अई-1सी/37ईई-9/11965/85-86—

अतः मुझे ए० के० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रीमायसेस नं० 506, काकड चेंबर्स, वर्ली, बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1901 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 8-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय को छोड़कर, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सेमीकोन प्राईवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स को.कोई स्टील वर्कस प्राईवेट लिमिटेड ।
(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) सोसायटी ।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रीमायसीस नं० 506, जो काकड चेंबर्स, पांचवीं मंजील, काकड चेंबर्स आफीस और बीजनेस प्रीमायसेस को० आप० सोसायटी लिमिटेड, वर्ली, बम्बई-400018 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1सी/37ईई-10517/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 8-7-1987 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण,)
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

सं० अर्दे-1सी/37ईई/1/11883/85-86-- अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या यूनिट सं० 201, ए० विंग, सर्विस इण्डस्ट्रियल इस्टेट, हिन्द साइकिल रोड, वर्ली, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1901 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-7-1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. मैसर्स नीलम इस्टेटस ।

(अन्तरक)

2. अब्दुल लतीफ फैमिली ट्रस्ट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 201, जो दूसरी मंजिल, ए विंग, सर्विस इण्डस्ट्रियल इस्टेट, हिन्द साइकिल रोड, गोपाल नगर गोपड़ पट्टी के पास, वर्ली, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/सी/37 ईई/10486/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 सी बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

सं० अई–1सी/37ईई/11/12022/85–86— अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० डी/2, गेरेज नं० 4, कावेरी मिता सोसायटी, एच० आर० महाजनी मार्ग, माटूंगा, बम्बई 19 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1901 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 8–7–1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एम० बी० एस० मनीयम ।
(अन्तरक)
2. श्री उमेश पी० मेहता ।
(अन्तरिती)
3. अन्तरक ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :— में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 2, और गैरेज नं० 4, तल मंजिल, जो कावेरी मिता को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 519, एच० आर० महाजनी मार्ग, माटूंगा, बम्बई 400019 मे स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–1सी/37ईई/10533/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 8–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहयक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज 1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनिम, 1961 (1961 का 43) की धारा) 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

सं० अई--1/सी/37ईई/19/12136/85-86:--:अत मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 301, प्रतीक्षा, प्लाट नं० 7ए, मौलाना अब्दुल गफ्फार रोड, वली, बम्बई 18 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 14-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ग) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर) अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. स्काय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

2. श्री मोहन भाल चन्द्र सामन्त

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 301, जो प्रतीक्षा, प्लाट नं० 7ए, मौलाना अब्दुल गफ्फार रोड, वली, बम्बई 400017 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/सी/37ईई/10571/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

सं० अई–1सी/37ईई/24/121/93/85–86— अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 1, दूसरी मंजिल, एफ० पी० नं० अउ 914, कापड़वाला चाल, सयानी रोड, प्रभादेवी, बम्बई 25 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 14–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स एवरेस्ट बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

2. शैलेश सीताराम भोबे ।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. आर० डी० एजयूकेशन ट्रस्ट ।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में **कोई भी आक्षेप** :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, जो दूसरी मंजिल, एफ० पी० नं० 914 कापड़वाला, चाल, आफ सयानी रोड, प्रभादेवी, बम्बई 400025 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र सं० अई–1सी/37ईई/10591/ 85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च 1987

सं० अई–1सी/37ईई/2/11888/85–86:—अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संज्ञा फ्लैट नं० 15, कैलाश भवन को आप० हाउसिंग सोसायटी, 258, सायन मेन रोड, बम्बई 22 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1901 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रदीप चुनी लाल बोरमिया (अन्तरक)
2. श्री ए०ए० पेजसे और अन्य (अन्तरिती)
3. अन्तरक (यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में किसी भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,** के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 15, जो कैलाश भवन, को आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 258, सायन मेन रोड, बम्बई–400022 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–1सी/37ईई–11886/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च, 1987

सं० अई–1सी/37ईई/11901/85–86:— अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट नं० 121, अन्तरीक्षा, काकासाहेब गाडगील मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1901 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1–7–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कल्पतरू इण्डो सायगांव कनस्ट्रक्शनस (अन्तरक)

2. श्री अतुल जगदीश चन्द्र कलरा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 121, जो, बारहवीं मंजिल, अन्तरीक्षा, काकासाहेब गाडगिल मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० अई–1सी/37ईई/10498/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1–7–1986 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1सी, बम्बई

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 1 सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च 1987

सं० अई-1सी/37ईई/3/11896/85-86-अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० एम-2, इमारत नं० 2, प्रथमेश सोसायटी, टवीन टावर्स रोड़, प्रभादेवी, बम्बई-400025 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1901 की धारा 269 क ख के अधिन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 1-7-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अनंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शीला गुरूप्रकाश मुदूर और अन्य । (अन्तरक)

(2) श्री सुरेश त्रिविक्रम खानोलकर और अन्य । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० एम-2, जो इमारत नं० 2, प्रथमेश को०आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, टवीन टावर्स रोड़, आफ वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025 में स्थित है

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई-1सी/37ईई-10495/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रकल्प आई. टी. एस. एच.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० अई-1सी/37ईई-5/11906/85-86—
अतः मुझे ए० के० गुप्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी फ्लेट नं० सी-304, शिवसागर इस्टेट, पूनम सोसायटी, डा० ऐनी बेसंट रोड, वर्ली, बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधिन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 1-7-1986
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्षयमान प्रतिफल से ऐसे क्षयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित सद्उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सिद्दीक अब्दूल्ला पटेल ।
(अन्तरक)

(2) श्री दीनेश बचूभाई मशू और अन्य ।
(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० सी-304, जो शिवसागर इस्टेट, पूनम को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, डा० ऐनी बेसंत रोड़, वर्ली, बम्बई-400018 में स्थित है ।

अनुसूचि जैसा की क्र० सं० अई-1 सी/37ईई-10501/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज 1 सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एम.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

बम्बई, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० अई-1सी/37ईई/6/11920/85-86—

अतः मुझे, ए० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी फ्लैट सं० 33, पुष्कार, जुलीयन सोसायटी, शिवाजी पार्क, दादर, बम्बई-28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-7-1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मोरेश्वर जोगलेकर ।

(अन्तरक)

(2) मीना सुधाकर प्रभू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 33, जो पुष्कार, जुलीयन को०-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवाजी पार्क, दादर, बम्बई-400028 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1सी/37ईई/10504/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-7-1986 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1सी, बम्बई

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

फार्म आई.टी.पी.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/एस० आर०/7-86/53—अतः मुझे, श्री बी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो ई-33, जी-1-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी . के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का जो प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दत्त प्रसाद बिज, 2 श्रीमती सन्तोष रानी बिज निवासी—27, नवजीवन विहार, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री जी० के० सोनी, 2. श्री उषा सोनी
बी-245, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एटायर ग्राउण्ड फ्लोर, बिल्डिंग नं० ई-33, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली कम्पराइसिंग 3 बैड रूम्स साथ में बाथस, किचन व ड्राइंग डाइनिंग 45% अविभाज्य शेयर ।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली- 110002

दिनांक : 9-3-87
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37जी/7–86/59—अतः मुझे, श्री वी० के० मगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस–373, है तथा जो ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अध्यभाग प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अध्यभाग प्रतिफल से, ऐसे अध्यभाग प्रतिफल का जमूह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ...

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० एम० त्रिपाठी सुपुत्र स्व० ले० क० एम० एम० एल० त्रिपाठी,
17/892, लोधी कालोनी, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सगीता तलवार पत्नी राजीव तलवार और राजीव तलवार सी–379, डिफेंस कालोनी, नई नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस–373, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली ।

वी० के० मगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा) 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/एम० आर०-3/7-86/58—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस-464 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रघुनन्दन लाल कपूर
एस-464, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) माल्हन बिल्डर्स द्वारा श्री एन० के० माल्हन
ई-588, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कमरा प्रथम खण्ड साथ में ड्रेस बिल्डिंग नं० एस-464, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली 60% ,अविभाज्य शेयर प्लाट तादादी 446.0 वर्ग मीटर्स । , 550.0 वर्ग गज ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/एस० आर०–3/7–86/78—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस–188, है तथा जो ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

[(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए]

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती निरूपम जैन
ई–207, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली
(अन्तरक)

(2) जे० सी० गुलाठी फैमिली ट्रस्ट,
5–बी वन्दना बिल्डिंग, टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रियर भाग ग्राउण्ड खण्ड का हिस्सा एस–188 ग्रेटय कैलाश–2, नई दिल्ली तादादी लगभग 900 वर्ग फीट ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7
4/14ए, आसफअली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू.-7/एस आर-3/7-86/75

अतः मुझे, श्री वी. के. मंगोत्रा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या है
तथा जो एस-188, बेसमेंट ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली। में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है). रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख जुलाई 86
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसी अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती निरूपम जैन
ई-207, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री मास्टर गौरव गुलाठी
5-वी, वन्दना बिल्डिंग, टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बेसमेंट आफ एस-188, ग्रेटर कैलाश, भाग-2, नई दिल्ली क्षेत्र 900 वर्ग फीट।

वी. के. मंगोत्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-110002

तारीख 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/एस० आर०–3/7–86/77—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० एस–188, है तथा जो ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली है स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती निरूपम जैन
ई–207, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री जे० सी० गुलाटी एच० यू० एफ०
52/78, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्राउण्ड फ्लोर के सामने का भाग एस–188, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली तादादी लगभग 900 वर्ग फीट ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–1100002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

[भाग III—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अप्रैल 25, 1987 (वैशाख 5, 1909) 3281

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37बी/7–86/54—अतः मुझे, श्री वी० के० मगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी ग० एस–237 है तथा जो ग्रेटर कैलाश–2 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती संतोष लूथरा पत्नी श्री सुरेन्द्रा एस० लथरा 1–20, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) नैसर्स मेक्स फेयर बिल्डिरस प्रा० लिमि० ए–3/194, पश्चिम विहार, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० एम–237, नापादी 300 वर्ग ग। ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली ।

वी० के० मगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०—7/एस० आर०—3/7—86/57—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० ई—456, है तथा जो ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .—

(1) श्री अमरीक सिंह सुपुत्र श्री प्रीतम सिंह ई—456, ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक अग्रवाल 2. श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल ई—48, ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप .—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

प्रापर्टी ई—456, ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली तादादी 250 वर्ग गज तल खण्ड, मैजानिन खण्ड और प्रथम खण्ड ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली—110002

दिनांक : 9—3—87
मोहर .

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37–जी/7–86/52—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए–216, है तथा जो ओखला इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र फेस–1, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) यथास्थिति से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से बचने के प्रयोजन से अथवा उससे दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मुकेश एंटरप्राइसिस प्रा० लिमि०
डी–17, साउथ एक्सटेंशन भाग–2, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मोदी एक्सरोस लिमिटेड
मोदीपुरम (यू० पी०)
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त सम्पत्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ए–216, ओखला इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र फेस–1, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

फ्रूप्प आई. टी. एन. एस.:--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 9 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37जी/7-86/80--अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है**), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-210, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली 1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) संव्यवहार में हुई किसी बात की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती संगीता गोयल पत्नी श्री सतीश कुमार गोयल एम-285, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री जेतिन्द्र नाथ और श्रीमती शांति जे० नाथ 763, बाबा खडक सिंह मार्ग, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रथम खण्ड प्रापर्टी सं० ई-210, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

दिनांक : 9-3-87
मोहर :

प्रकम आई. टी. एम. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37जी/7 --3, 246––अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० बी–16, है तथा जी वेस्टेड कालोनी, नई दिल्ली मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1998 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी बात की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एच० सी० टुकराल 2. श्रीमती डब्ल्यू० टुकराल श्री संजय टुकराल सी–166, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री रघुपति सिंघानिया लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बी–16, वेस्टेंण्ड कालोनी, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37जी-7-86/55—अतः मुझे, श्री बी० के० मगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस-223, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्रीमती शांति
बी-56, इन्दरपुरी, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) आरोही अपार्टमेंटस प्रा० लिमि०
ई-207 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट सं० एस-223, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-3-87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37जी/7-86/56—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० ई-245, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुदर्शन अग्रवाल सुपुत्र नानक चन्द स्वयं और एटोरनी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० आर० पी० मित्तल ई-2, 467 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री अनिल जग्गा सुपुत्र श्री कुंदन लाल जग्गा सी-77, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खण्ड प्रापर्टी सं० ई-245, तादादी 250 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-3-87
मोहर :

'प्रारूप आई.टी.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भाग एक—क

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०—7/7/37जी/7—86/51—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस—373, है तथा जो ग्रेटर कैलाश—2 नई दिल्ली में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यपगत प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यपगत प्रतिफल से, ऐसे व्यपगत प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एम० एम० त्रिपाठी सुपुत्र स्वर्गीय ले० क० एम० एम० एल० त्रिपाठी
17/892, लोदी कालोनी, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) ले० क० रिटायर्ड राज कुमार कपूर सुपुत्र स्वर्गीय कुंदन लाल कपूर 276, डी० डी० ए०, फ्लैट, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूसरा खण्ड प्रापर्टी सं० एस—373, तादादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—7, नई दिल्ली—110002

दिनांक : 9-3-1987

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37ईई/7-86/107--अतः मुझे, श्री बी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० ए-201, 6, है तथा जो औरंगजेब रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क्ख के अधीन, दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से बची करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीस प्रा० लिमि० 115, अंसल भवन, 16, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री धीरज सरना बी-4/39, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० ए-201, 6, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-1150002

दिनांक : 9-3-87

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37ईई/7–86/100––अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 29, है तथा जो कम्युनीटी सेंटर साकेत नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) बम्बई बिल्डर्स प्रा० लिमि०
18, मालचा मार्ग, कर्मशियल काम्पलेक्स, डिप्लोमेटिक एंक्लेव, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स अमृता नय्यर
के–61, जगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बेसमेंट तल खण्ड प्रथम खण्ड से तीसरे खण्ड प्लाट नं० 29, कम्युनिटी सेंटर साकेत, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37ईई/7–86/106––अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप सं० 101, है तथा जो प्रथम खंड, 5–भीकाजी कामा पलेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन दिनांक जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मास्टर पंकज नरूला यू/जी श्रीमती स्नेह नरूला 41, नार्थ एवेन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) डालमिया सिमेंट (भारत) लिमि० हंसालय 11वां खण्ड 15बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त वक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप सं० 101, प्रथम खण्ड 5–भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37ईई/7-86/105—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी शाप सं० 107 है तथा जो 5—भीकाजी कामा पलेस, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन दिनांक जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती संगीता नरूला पत्नी श्री प्रवीन क० नरूला 41, नार्थ एवेन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) डालमिया सिमेंट (भारत) लिमि० हंसालय, 11वां खण्ड, 15-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप सं० 107, प्रथम खण्ड, 5-भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. [illegible]

आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/7/37ई/7–86/61––अतः मुझे, श्री बी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप सं० 108, है तथा जो सोमदत्त चेम्बरस, 5–भीकाजी कामा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम पलेस सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन दिनांक जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित प्रयोजन से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) नरूला होल्डिंग प्रा० लिमि०
402, गगनदीप 12, राजेन्द्रा पलेस, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) डालमिया सिमेंट (भारत) लिमि०
हंसालय (11वा खण्ड) 15–बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप स० 108, सोमदत्त चम्बरस–5–भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली ।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 9–3–87
मोहर :

रूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 9 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०-7/37-ईई/7-87/96—

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० ए-302, 6, है तथा जो औरंगजेब रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों)- और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रोपर्ट्रीस एंड इंडस्ट्रीस प्रा० लिमि० 16-के जा मार्ग, नई दिल्ली (115-अंसल भवन)।
(अन्तरक)

(2) बी एम सालग्यो कर एंड आदर्स प्रा० लिमि० वास्को डी गामा, गोवा-403 802।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० ए-302, तादादी 1998 वर्ग फीट साथ में 176 वर्ग फीट खुला ट्रैस तीसरा खंड, अंडर कंस्ट्रशन -6 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, [illegible] 4/14-ए, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-1

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० 37-ईई/7-86/101—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लेट नं० बी-1, है तथा जो लोअर ग्राउन्ड फ्लोर डब्लू-6, जी०के०-2, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय आयकर प्राधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन तारीख जुलाई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स एलाइड कंस्ट्रक्शन कम्पनी 26-ए, रिंग रोड, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) रतन बंसल ए-16, पम्पोस एकलेव, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० बी-1, लोअर ग्राउंड फ्लोर डब्लू-6, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाऊस, 4/14, आसफ अली रोड, अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० 37-ईई/7-86/102—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

...कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ...सके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या शाप नं० 106, है तथा जो सोमदत्त चेमबरस 5-भीकाजी कामा प्लेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) तरुला होलिडंग प्रा० लिमि०, 402, गगनदीप 12, राजिन्द्रा पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) डालमिया सीमेंट (भारत) लिमि०, हंसालय 11वां खंड 15-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 106, सोमदत्त चेम्बरस 5-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, अग्रवाल हाऊस, 4/14 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली—1

तारीख : 9—3—1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/98—

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या शाप नं० 105, है तथा जो सोमदत्त चैम्बर्स 5-भीकाजी कामा प्लेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986,

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है,—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात् :—

(1) जनहित उत्पादन प्रा० लिमि०, 41, नार्थ एवैन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) डालमियां सिमेंट (भारत) लिमि० हंसालय (11वां खंड) 15-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 105, प्रथम खंड सोमदत्त चैम्बर्स 5-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, अग्रवाल हाऊस, 4/14 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-1

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/97—

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या शॉप नं० 104, है तथा जो सोमदत्त चैम्बरस 5-भीकाजी कामा प्लेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को., जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) नरुला गुटवीर्थ (इंडिया) लिमि०, 402, गगनदीप 12, राजिन्द्रा पलेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) डालमिया सिमेंट (भारत) लिमि०, हंसालय 11वां खंड, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शॉप नं० 104, प्रथम खंड सोमदत्त चैम्बरस, 5भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, अग्रवाल हाऊस, 4/14 ए, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-1

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली; दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/103 —अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो शाप नं० 103, सोमदत्त चैम्बरस 5-भीकाजी कामा प्लेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सृष्टि उद्योग प्रा० लिमि० 41, नार्थ एवेन्यू पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) डालमिया सीमेंट (भारत) लिमि० हंसालय 11वां खंड 15-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित **हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

अनुसूची

शाप नं० 103, प्रथम खंड सोमदत्त चैम्बरस 5-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एच. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/114

—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लैट नं० 402, 6-कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन, तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) डिम्पल बाबू पत्नी बी० एल० बाबू, गोबिंद मेंशन (एन० आई० सी० बिल्डिंग पीछे जी० टी० रोड, असनसोल (वेस्ट बंगाल)।

(अन्तरक)

(2) श्री सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट आफ साईंटिफीक रिसर्च, 1101, नई दिल्ली हाउस, 27-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 402, नं० 6, कामा प्लेस, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/104

अतः मुझे, श्री वी० के० मगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो शाप नं० 102, प्रथम खंड, 5-भीकाजी कामा प्लेस में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ग,ख क अधीन, तारीख जलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मास्टर पुनीत नरुला यू/जी स्नेह नरुला 41, नार्थ एवेन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) डालमिया सीमेंट (भारत) लिमि०, हसाल्य, 11वां खंड, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 102, प्रथम खंड, 5-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

वी० के० मगोत्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख 9-3-1987
मोहर :

प्रकरण आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ई/7-86/195-डी—अतः मझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को **यह विश्वास करने का** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य **1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी संख्या है तथा जो डी-2, 1, हेली रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन, तारीख जलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति का उचित बाजार **मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का** पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में **वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा** के लिए; **और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) अंसल प्रोपर्टीस इंडस्ट्रीस प्रा० लिमि०, 115 अंसल भवन, 16-के जो गांधी मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) वाइस एडमीरल खुराना 2. मिसेस गोविन्दा खुराना बंगलो नं० 1, जनपथ, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के **पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित** हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डी-2, 1, हेली रोड, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/7/37-ई/7-86/37

--अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो सी-577, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री देविन्दर सिंह डंग, सी-577, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) बलारपुर एडस्ट्रीस लिमि०, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ढाई स्टोरी हाउस, सी-577, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

इकत्र आई. टी. एस. एम.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37-ईई/86-87

एफ—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या र तथा जो सी-247, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मिसेस राजकुमारी अजेंद्र कोर पत्नी श्री आर एच डी सिंह सी-247, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) ए०एस० दुग्गल 2 मिसेस जुगेल दुग्गल 3 सरबजीत सिंह दुग्गल सी-501, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या हितबद्ध व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी-247, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०ब7/37ई/786/108

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो एस-94, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) चंद्र कांता पत्नी श्री ए के कैथ ए-6, रिंग रोड एच० डी०एस० ई-1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री संतोष कुमारी भगत सुपुत्र श्री पन्ना लाल भगत और श्रीमति शकुंतला भगत पत्नी संतोष कुमार भगत 73/1सी, पालम एविन्यू, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खंड एस-94, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37ईई/7-86/195-सी-अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० र तथा जो ई-1, 1, हैली रोड, नई दिल्ली-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख, के अधीन तारीख जुलाई 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से ऐसे श्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) अंसल प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज प्रा० लिमि०, 115-अंसल भवन, 16, के जी मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) नीला मल्नर, द्वारा रणिका एक्सपोर्ट, 23 गोल्फ लिंकस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ई-1, 1-हैली रोड, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, अग्रवाल हाउस 4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2

तारीख: 9-3-1987
मोहर.

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-7/37ई/7-86/112—अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जे-4, है तथा जो 1 हैली रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख, के अधीन तारीख जुलाई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रापर्टीज एंड इंड ट्री प्रा० लि०, 115-अंसल भवन 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) ग्राइंड इक्यूपमेंट सर्विस प्रा० लि०, 33-यशवत पलेस, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जे-4, 1, हैली रोड, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, अग्रवाल हाउस 4/14-ए, आसफ अली रोड नई दिल्ली-1

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-7/37ईई/ 7-86/ 99—अतः मुझे, श्री बी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहविश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो प्लाट नं० 169, ब्लाक ई, मंजित मोड, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क; ख के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुरेन्द्र नाथ गद्योक सुपुत्र श्री राम नाथ गद्योक फलट नं० 81, मेकर चेम्बर, के-बफपरेड, बम्बई ।

(अन्तरक)

(2) संतोष सुपुत्र स्वर्गीय श्री कुणाल सिंह, ई-155, मस्जिद मोड, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 169, ब्लाक ई, मस्जिद मोड, नई दिल्ली तादादी 180 वर्ग मीटरस ।

बी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-7, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर ।

ग्रुप आई.टी.एन.एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्यू०–7/37ईई/7–86/107–बी––अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एस–113, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यमान प्रतिफल से, ऐसे व्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) अनिल कुमार, 4/54, सुभाष नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) रसेल साहनी, 16, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूसरा खंड प्रिमायेमेस विलरिंग नं० एस–113, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली तादादी लगभग 1640 वर्ग फीट।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम आधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 9–3–1987
मोहर :

फार्म आई. टी. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987 ज

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–7/37ईई/7–86/115

अतः मुझे, श्री वी० के० मंगोत्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो डी–135, मस्जिद मोठ, आवासीय स्कीम दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क खण्ड के अधीन तारीख जुलाई 86 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० आई० एन० भाटिया द्वारा एटोरनी डा० प्रदीप भाटिया सेक्टर 15/1328 फरीदाबाद (हरियाणा)

(अन्तरक)

(2) अशोक कुमार पहुजा, सरीता पहुजा (मिसेज) 2401, तिलक स्ट्रीट, पहाडगंज, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है:

अनुसूची

एक मंजिल आवासीय हाउस नं० डी/135, मस्जिद मोठ आवासीय स्कीम, नई दिल्ली।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायकर आयट आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख 9–3–1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/7–37ईई/7–86/45—अतः मुझे श्री वी० के० मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० है तथा जो बी–27, कैलाश कालोनी, यूनिट 1, अप्पर खंड, दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है)सक्षम अधिकारी के कार्यालय मे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख जुलाई 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

ज (1) रिलाईन्स अपार्टमेंटस प्रा० लि०, ए–1/149, इन्दरपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) एस० डी अग्रवाल, ई–45, पचशील पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 1, अप्पर ग्राउंड फ्लोर, बी–27, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली तीन कमरे साथ मे बाथरूम व स्टोर।

वी० के० मगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 9–3–87
मोहर:

फ्रॉम आई.टी.एल.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

सार्वजनिक सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–7,, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू–7/37ईई/7–86/43—अतः मुझे श्री वी० के. मंगोत्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है,

और जिसकी सं० युनिट जो नं० 1 है तथा ए, लोगर ग्राउंड खंड बी–27, कैलाश कालोनी दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख जुलाई 86

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रेलाईन्स अपार्टमेंटस प्रा० लि०, ए–1/49, इन्दर पुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरज)

(2) एस० डी० अग्रवाल एच० यू० एफ़, ई–43, पंचशील पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 1 ए, लोअर ग्राउड खंड बी–27, कैलाश कालोनी, दिल्ली एक हाल एक किचन और एक सर्वेन्ट क्वाटर।

वी० के० मंगोत्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 9–3–1987
मोहर :

13—36 GI/87

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 4 नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/7-86/27/37ईई—

अतः मुझे श्री डी० के० वास्तव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी स० है तथा जो कमर्शियल फ्लैट नं० 1002, अम्बादीप, प्रोपोरड टुबी कंस्ट्रटिड 14, कस्तुरबा गाधीं मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज 4 नई दिल्ली मे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम को व्यक्त प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसको व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और वह अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री के० सत्यानारायनी ए-42, एन डी एस ई पार्ट-1, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री प्रदीप कुमार वर्मा और मिसेज रानी वेद कुमारी वर्मा 86, जोरबाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कमर्शियल फ्लैट न० 1002, अम्बादीप बिल्डिंग टु बी कस्ट्रटिड, 14, कस्तूरबा गाधी मार्ग, नई दिल्ली फ्लैट का क्षेत्र 470 वर्ग फीट।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-4, नई दिल्ली

तारीख: 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/7–86/29/37ई–

अतः मुझे, श्री टी० के० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो एक आवासीय फ्लट नं० 4, पांचवां खंड क्षेत्र 1600 वर्ग फीट एक कार पार्किंग स्पेस बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम अधेश्वर अपार्टमेंट 34 फिरोज शाह नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित आयुक्त आयकर है) सहायक (निरीक्षण) अर्जन रेज 4 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स कैलाश नाथ एंड एसोसिएटस 1006, कुंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–1, (अन्तरक)

(2) मिस हेमा महतानी, निवासी–सी–4/52, सफदर जंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक आवासीय फ्लैट नं० 4, 5वां खंड क्षेत्र 1600 वर्ग फीट एक खुला कार पार्किंग स्पेस, बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम, अधेश्वर अपार्टमेंट 34, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिजारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 10–3–1987
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/37ई/7–86/33–

अत मुझे श्री डी० के० श्री वास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो बेसमेंट प्लाट नं० 16 और 17, एल० एस० सी, मदनगीर, नई दिल्ली। प्रोपोड बिल्डिंग) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 4 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् :—

(2) मेसर्स कैपरीकोन इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, बी–4/205, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–119029 (अन्तरक)

(2) हाउस आफ फ़रदीशिग, 44 ए, अमृताशेरगिल मार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

'बेसमेंट, प्रोपोड बिल्डिंग, प्लाट नं० 16 और 17, एल० एस० सी, मदनगीर, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–7, नई दिल्ली

तारीख : 10–3–1987
मोहर :

[अध्याय आई० टी० एक्ट एक्ट]

आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

[आयुक्त कार्यालय]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०–4/37ई/7–86/34

अत: मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फलैट नं० 4, तीसरा खण्ड नाथ टावर, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, अधोश्वर अपार्टमेंट 34, फिरोजशाह, रोड नई दिल्ली मे स्थित है(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज 4 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स कल्याणनाथ एंड एसोसिएड्स, 1006, कनचनजंगा, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिसेज सुशिला माधाव, बी–1/21, बसत विहार नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित गया है।

अनुसूची

फलट नं० 4, तीसरा खंड क्षेत्र 1600 वर्ग फीट, नाथ टावर, ग्रुप अधोश्वर अपार्टमेंट एक कार पार्किंग स्पेस 34, फिरोजशहा रोड, नई दिल्ली।

डी के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–4, नई दिल्ली

तारीख: 10–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 के 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/4/37ई/7-86/36—अतः मुझे श्री डी० के श्रीवास्तव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी जसं० है तथा जो कृषि भूमि 17, बीघा और 18 बिस्वा, गांव बिजवासन, तहसील महरौली, नई दिल्ली शकिना नं० 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आयकर अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 4 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1987 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) संदीपन रुला (छोटा) द्वारा पिता व अभिवक श्री एस आर नरुला ए-21, नारायणा विहार नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स ब्रजभूषण बजाज एंड संस (एच यू एफ) द्वारा श्री ब्रज भूषण बजाज ए-196, गुजरावाला टाउन, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादंद्री 17 बीघा व 18 बिस्वा क्षेत्र नं० 54, किला नं० 4(4-16); 7(4-10), मीन (3-16) 17/1(2-8) 24/2(2-8) साथ में ट्यूब वैल, फिटिंग और फिकचरस, टु रुमल और बाउंड्री वाल साथ गेट गांव बिजवासन, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख : 10-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1987

निदेश सं० आइ० ए० सी०/एक्यू०/-IV/7-86/37—अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो क्षेत्र बियरिंग खसरा नं० 1018, 1021, 1025, 1027, 1034, 1035 और 1039 17 बीघा और 14 बिस्वा में इससे उपाबद्ध गांव-छत्तपुर, तहसील मैहरोली, नई दिल्ली 1 स्थित है (और अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स तेज प्रोपट्रीस प्रा० लिमि० 23, जोर बाग, नई दिल्ली अब 22-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री संजय बंसल सुपुत्र श्री एस के बंसल बी-15, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली। (अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लैंड बियरिंग खसरा नं० 1018, 1021, 1025, 1027, 1034, 1035 और 1039 तादादी 17 बीघा और 14 बिस्वा गांव-छत्तपुर, तहसील-मैहरोली, नई दिल्ली 1

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, दिल्ली, नई दिल्ली।

तारीख : 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -5, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० 3/एक्यु/5/3/37ईई/8-86/27

—अतः मुझे, श्री ए० के० मनचंदा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 204, 17, कम्यूनिटी सेंटर, यूसफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिकारी, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज -5, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अगस्त 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) भनोट प्रोपर्टीस एंड इंडस्ट्रीस लिमि० 102-103, राजा हाउस, 30-31 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) फेयर डील एंटर प्राइसिस एफ-27, एन डी एस ई-भाग-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एलाटमेंट आफ फ्लट नं० 204, दूसरा खंड, भनोट हाउस, 17, कम्यूनिटी सेंटर, युसफ सराय, नई दिल्ली 1 क्षेत्र 500 वर्ग फीट।

ए० के० मनचंदा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-5, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987

मोहर ।

ग्रुप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्ज. रेंज 5, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आ०अ० एन० सी०/प्रयु०-5/17-ईई/8 86/28—अब मुझे, श्री ए० के० मालदा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या बी-7, है तथा जो 17, यूसफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), भारतीय सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कंख के अधीन तारीख अगस्त 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या यों किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) भनोट पोल्ट्रीम एंड इंडस्ट्रीस प्रा० लिमि० 102-103, राजा हाउस, 30-31, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लाल कपूर एंड मिसेज कुमारी कपूर, एफ-27, एनडीएमई-भाग-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही हाथ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अपार्टमेंट बेसमेंट नं० 7 भनोट हाउस, तादादी 500 वर्ग फीट प्लाट नं० 17, कम्युनिटी सेंटर यूसफ सराय, नई दिल्ली

ए०के०मालदा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-5, नई दिल्ली-1

तारीख 9-3-1987

मोहर .

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज V नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/ /5/37-ईई/9-86/91-ए

—अतः मुझे, श्री ए० के० मनचंदा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो आर-7ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), के कार्यालय सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, 5 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख नवम्बर 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स देवनीयरा एंड कंट्रेक्टिंग प्रा० लिमि० जी-48, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स मामहर्विस प्रा० लिमि० एफ-4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आर-7ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। (मैजनीन फ्लोर का 900 वर्गफुट)

ए० के० मनचंदा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-V दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 9-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37-ई/7-86/38—अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो 1/2 प्रापर्टी म्युनिस्पल नं० 61, फ्रैंड कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण के अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रेणू इंटर प्राइजिसेस 3540-41, निकलसन रोड, दिल्ली-6, पी० बी० एच० प्रोपर्टीज प्रा० लिमिटेड, सी-40 कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मोहित जैन 22, सुन्दर नगर नई दिल्ली I सुरेखा अन्य उपरिलिखित पता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा भाग प्रापर्टी बियरिंग म्युनिस्पल नं० 61, फ्रैंड कालोनी, नई दिल्ली 1250 वर्ग गज।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 13-3-1987
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० टी० सी०/एक्यू०/2/37-ई०ई/7-86/39--

अतः मुझे, अशोक कक्कड,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो बी-410, न्यू फ्रैंड कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कर्पानर सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नमी चन्द जैन श्री पी डब्लू जैन 2/0-36, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110 024।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती उमा शंकर खंडेलवाल गोल कोठी 61/4, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण .—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बी-410, न्यू फ्रैंड कालोनी, नई दिल्ली-110 065 491 9 वर्ग गज।

अशोक कक्कड
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख 13-3-1987

मोहर :

फ्रम. आई. टी. एन. 54. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37-ई/7-86/40—अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट नं० 340 फ्रैंड कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण के अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दीवान श्याम लाल साहनी दीवान श्नद लाल मैसर्स साहनी दीवान रजन साहनी 40, फ्रैंड कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) स्ट्राव प्रोडक्ट लिमि० नेहरू हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के बारे में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 40, फ्रैंड कालोनी (ईस्ट) नई दिल्ली तादादी 3840 वर्ग गज मैन बिल्डिंग, एनेक्स बिल्डिंग, चपरासी क्वाटरस और गेरेज।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-

तारीख : 13-3-1987
मोहर :

फा० आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37-ई/7-86 46ए, अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 30-ए है तथा जो नाथु राम फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा किस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्रीमती मित्र सेठ, निवासी-30-ए, नाथु राम फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(2) जिपर ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेज लि०, 305, स्कीपर कार्नर, 88, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

30-ए, नाथु राम, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-65, 1780 वर्ग गज।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली,

तारीख 13-3-1987
मोहर

प्ररूप आई. टी. एस. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1987.

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37-ई/7-86/46-बी, अत मुझे, अशोक कक्कड,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं०-5 है तथा जो बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, आफिस स्पेस में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स हैल्थ केयर एसोसियेट्स, 1006 कंचन जुन्गा, 18, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली, (अन्तरक)

(2) मास्टर सिदार्थ मुरी केयर/—आफ श्री एस० एस० मुरी, चेयर मेडिकल एन्ड हैल्थ, विकास भवन, लखनऊ,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तीसरी मंजिल, प्रताप भवन, तादादी-636 वर्ग फिट, प्लाट नं०-5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली,

अशोक कक्कड
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 13-3-1987
मोहर :

इन्कम टाइ., टी., एन., 9०.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37-ईई/7-86/39

अतः मुझे, श्री अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लेट नं० 6ए, 9 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है ' (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-3, नई दिल्ली। में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) कैलाशनाथ एंड एसोसिएट्स 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1

(अन्तरक)

(2) ओमप्रकाश सरोफ एंड श्रीमति सत्या भाग सरोफ 3/7-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 6ए तादादी 1600 वर्ग फीट सातवां खंड एक खुला कार पार्किंग स्पेस बहुमंजिली इमारत, ग्रुप हाउसिंग स्कीम 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 10-3-1987
मोहर :

अल्फा बाई.टी.एम.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 10 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37-ई/7-86/40—अतः मुझे, श्री अशोक कक्कड़, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्लेट नं० 8सी 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य परिसंपत्ति को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने या सुरक्षित करने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) कैलाशनाथ एंड एसोसियेटस18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिस् पूनम मंमानी ए-5/सी/28-ए, जनकपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० 8 सी, तादादी 1966 वर्ग फीट प्रथम खंड और एक खुला कार पार्किंग स्पेश बहुमंजिली इमारत ग्रुप हाउसिंग स्कीम; 9 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 दिल्ली, नई दिल्ली—110092

तारीख : 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37-ई/7-86/47—

अतः मुझे, श्री अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो शाप नं० 9, एबी सी खान मार्किट, नई दिल्ली 1 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-5, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कौशल्या देवी खन्ना 93, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) सोपन प्रोपट्रीस प्रा० लिमि० 17, कम्युनीटी सेंटर, न्यू फ्रेंडस कालोनी, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 9, एबीसी खान मार्किट नई दिल्ली तादादी 203 वर्ग गज, 2/3 अविभाज्य शेयर क्षेत्र में।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3 दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 10-3-1987
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (191 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/37ईई/7–86/49:—अतः

मुझे, श्री अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या वे है तथा जो फ्लैट नं० 3 बी, 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण), रेंज–3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जुलाई, 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएटस
1006, कनचंजगा, 18, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।

(; अंतरक)

2. भाई इंजीनियरिंग लि०
9 एच् अमता शेरगिल मार्ग,
नई दिल्ली

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धि व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लैट नं० 3 बी तादादी 1600 वर्ग फीट छठवां खण्ड बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम, 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज नं० 3 नई दिल्ली

दिनांक : 10–3–1987
मोहर :

[फार्म आई. टी., एच. एच.—————]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1987

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/7-86/50:— अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य **1,00,000/-** रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो फ्लैट नं० 2 ए, 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जुलाई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की अवधारित प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे

यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का **उचित बाजार मूल्य, उसके अवधारित प्रतिफल से, ऐसे अवधारित** प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी बात की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कैलाश नाथ एण्ड एसोसियट
10, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

2. राजन कपूर,
ए-143, न्यू फ्रेंडस कालोनी,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लैट नं० 2 ए, तादादी 1600 वर्ग फीट 5वां खण्ड तीसरी नीलगिरी 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली और एक कार पार्किंग स्पेस ।

अशोक कक्कड़,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3 दिल्ली

दिनांक : 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3 दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनाक 10 मार्च, 1987

सं० आई० ए० सी०/एक्यू./3/एस आर-3/7-86/11 ए० अत। मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो एम० पी० एल० नं० ई-34, यूनिट नं० 13 से 29 ब्लाक ई०, सर्कस डी कनाट प्लेस, नई दिल्ली मे स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रघुवीर सरन चेरिटेबल ट्रस्ट, 42, जनपथ, नई दिल्ली-1 (अन्तरक)

2. विस्डन एस्टेट प्रा० लिमिटेड० 3521, नेताजी सुभाष्ष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्लेट दूसरा खण्ड 1 प्रथम खण्ड बियरिंग एम० पी० एल० नं० ई-34, फार्मिंग बिल्डिंग का भाग स्थित यूनिट नं० 13 से 29 तक ब्लाक ई० सर्कल डी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्र 2000 वर्ग फीट।

अशोक कक्कड़,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आशौर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज दिल्ली

दिनांक : 10-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -2 दिल्ली,

दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1987

सं० आईव ए० सी०/एक्यू/2/ई/37ईई/19-86/68:— अत :मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो बी-23 ए, ओंडस कालोनी, वेस्ट नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकार के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक सितम्बर 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अध्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाएूवोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया था प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

श्री एस० जसबीर सिंह एस अवतार सिंह,
एस० धर्म सिंह और एस० बबेक सिंह,
122ह तेशोटा अपार्टमेंटह वे
नेपियन सीय रोड, बम्बई।

(अन्तरक)

2. आशोक अपार्टमेंट प्रास दिल्ली
ए-18 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बी-23 ए, ओंकेडस कालोनी, (वेस्ट, न्यू दिल्ली। एरिया 350 वर्ग गज।

[अशोक कक्कड़,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जनरेंज-2, दिल्ली

दिनांक : 25-7-1987
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एसयू/2/एस आर–3/7–86/22:–

अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो एम० सी० डी० नं० 122, प्लाट नं० 75, 76 और 77 कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1986।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अत्तर सिंह सुपुत्र श्री बालू
टी–1663/1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली और लीलेराम, 1791, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री दीपक जैन सुपुत्र श्री एम० के० जैन,
डी–1–ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/5 शेयर प्रापर्टी एम० सी० डी० नं० 122, प्लाट नं० 75, 76 और 77 का भाग, तादादी 500 वर्ग गज, खसरा नं० 122, अमृत नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, 2 नई दिल्ली

दिनांक : 25–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1987

सं० आई०ए० सी०/एक्यू/2/एस आर-3/7-86/23:—

अतः मुझे, अशोक कक्कड,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो अमृत नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अत्तर सिंह सुपुत्र श्री बालू राम टी-1663/1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली और लाले राम सुपुत्र श्री बालू राम, 1791, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स रायल प्रापर्टी लिमि० डी-1-ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली द्वारा महिन्द्र कुमार जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/5 शेयर प्रापर्टी नं० 122, प्लाट नं० 75, 76 और 77 खसरा नं० 122, तादादी 500 वर्ग गज, अमृत नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 2 दिल्ली,

दिनांक : 25-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, **सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज 2 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1987

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/2/एस आर०-3/7-86/25:—

अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रापर्टी नं० 122, प्लाट नं० 75, 76 और 77 कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जलाई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अन्तर सिंह सुपुत्र बालू राम
टी-1663/1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली और
लोलेराम सुपुत्र बालू राम
1791, कोटलामुबारकपुर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री एम० के० जैन
सुपुत्र श्री गुलाब सिंह जैन,
डी-1-ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० 122, प्लाट बना 500 वर्ग गज नं० 75, 76 और 77 खसरा नं० 122, स्थित अमृत नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

अशोक कक्कड़,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 2 दिल्ली

दिनांक : 25-3-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/2/37 ई ई/7–86/46 डी०––
अतः मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या ए–105, है तथा जो न्यू फ्रेंडस, कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सं० आयकर आयुक्त, दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जुलाई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आ० पी० गुप्ता,
4318/2 कामस्थान गली
3 दरिया गंज, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री कीर्ति प्रसाद,
श्रीमती प्रमिला प्रसाद और
मास्टर अमरीश प्रसाद,
51, फ्रेंडस कालोनी,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय [illegible] में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उसमें अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० ए–105, न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली। एरिया 502 5 वर्ग गज।

अशोक कक्कड़,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 25–3–1987
मोहर :

प्ररूप आई टी एन एस - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,– लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 10 मार्च, 1987

निर्देश सं० चडी/24/86–87—अतः मुझे एम० एन० ए० चौधरी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 1 ¼ मंजिला बना हुआ मकान नं० 277 (आर० पी० 3054) है तथा जो चण्डीगढ़ (सैक्टर 10 ए० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डी० आर० भाटिया
पुत्र श्री सुन्दर दास भाटिया
निवासी मकान नं० 277 सैक्टर 10ए,
चण्डीगढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अरविन्द्र कौर संधू
पत्नि श्री मनिन्दर सिंह
निवासी गांव तथा डाकखाना उसमा तहसील तरनतान
जिला अमृतसर तथा
मनिन्दर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह -
गांव तथा डाकखाना उसमा तहसील
तरनतारन जिला अमृतसर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1 ¼ मंजिला बना हुआ मकान नं० 277 (आर० पी० नं० 3054) सैक्टर 10ए, चण्डीगढ़ (अर्थात वह जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के विलेख संख्या 31 माह सितम्बर 1986 के तहत दर्ज है) ।

एम० एम० ए० चौधरी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक . 10–3–1987
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 25th February 1987

No. A-19014/6/77-Admn.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/21/86-EO(MM/PS) dated 23-2-87 Shri L. B. Sinate, Deputy Secretary has been relieved of his duties in the Commission's office with effect from the afternoon of 25-2-87.

SMT. NITA KAPOOR
Dy. Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 19th March 1987

No. A.32013/2/87-Admn.I.—The Chairman, Union Public Service Commission is pleased to appoint Shri N. Namasivayam, a permanent Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis for a further period of three months w.e.f. 12-3-1987 to 11-6-1987 or until further orders, whichever is earlier under the powers vested in him vide regulation 7 of UPSC (Staff) Regulations, 1958.

The 30th March 1987

No. A.32014/2/86-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission appoints Shri J. M. Sharma, Research Investigator in the office of the Union Public Service Commission to the post of Junior Research Officer (R&S) (General Central Service, Group 'B' Gazetted) in the office of the Union Public Service Commission on regular basis with effect from 2-3-1987 in the scale of pay of Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500 until further orders.

M. P. JAIN
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110003, the 3rd March 1987

No. P. VII-1/85-Estt. I.—The President is pleased to appoint on promotion the following Inspectors of CRPF to the post of Dy. S. P./Company Commanders/Quarter Masters in CRPF on ad-hoc/regular basis.

2. They took over the charge of the post in the unit on dates indicated against their names:—

Sl. No.	Name of officer	Ad-hoc basis		Regular basis	
		Unit	Date of taking over charge	Unit	Date of taking over charge
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri G. K. Nadar	104 Aux Bn.	18-11-84	G C Gauhaty	11-9-85
2.	Shri S. P. Pokhriyal	on deputation to MEA			
3.	Shri Prabhat Singh	106 Aux Bn	7-11-84 AN	20 Bn	18-10-85 AN
4.	Shri T. V. Nair	—	—	40 Bn	12-8-85 AN
5.	Shri Ram Ghan Ram	—	—	2nd Sig	29-8-85
6.	Shri Karamjit Singh	—	—	SGC	31-8-85
7.	Shri Surat Singh	—	—	3rd Sig	13-8-85
8.	Shri D. D. Pant	—	—	1st Sig	15-8-85
9.	Shri Trilok Singh Bhatia	—	—	4th Sig	31-8-85
10.	Shri Jeet Singh	—	—	78 Bn	20-8-85
11.	Shri B. S. Sandhu	—	—	20 Bn	30-8-85
12.	Shri S. P. Upadhyay	—	—	4th Sig	31-8-85
13.	Shri H. B. Gurung	—	—	82 Bn	26-8-85
14.	Shri Matadin Yadav	110 Aux Bn	6-11-84	77 Bn	16-9-85
15.	Shri D. N. Choudhury	115 Aux Bn	7-11-84	GC DPR	7-4-86
16.	Shri C. D. Prasad	104 Aux Bn	10-11-84 AN	78 Bn	20-9-85
17.	Shri Hawa Singh	105 Aux Bn	6-11-84	77 Bn	27-10-85
18.	Shri S. Murlidharan Nair	114 Aux Bn	7-11-84	GC PPM	1-4-86
19.	Shri Om Prakash Yadav	107 Aux Bn	6-11-84	80 Bn	15-4-86
20.	Shri E. Balan	114 Aux Bn	6-11-84	18 Bn	17-9-85 AN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Shri Ling Raj Sahu	114 Aux Bn	6-11-84	61 Bn	11-10-85
22.	Shri Sadanand Singh	—on deputation to SSB	Proforma promotion		15-4-86
23.	Shri Madan Singh	109 Aux Bn	6-11-84	35 Bn	1-9-85
24.	Shri R. P. Yadav	—	—	60 Bn	21-10-85
25.	Shri Ranjit Lal Meena	107 Aux Bn	6-11-84	49 Bn	16-9-85
26.	Shri Pat Ram Yadav	—	—	64 Bn	14-8-85
27.	Shri K. B. Chhetri	110 Aux Bn	6-11-84	86 Bn	30-4-86
28.	Shri B. Sushilan	108 Aux Bn	7-11-84	21 Bn	1-4-86
29.	Shri Jitpal Sharma	110 Aux Bn	6-11-84	54 Bn	5-9-85 AN
30.	Shri Charanjit Singh	105 Aux Bn	6-11-84	27 Bn	13-9-85
31.	Shri Megh Raj Singh	109 Aux Bn	6-1-184	77 Bn	6-9-85 AN
32.	Shri Bhim Singh Bhati	107 Aux Bn	6-11-84	86 Bn	24-9-85
33.	Shri Chander Pal Sharma	107 Aux Bn	6-11-84	14 Bn	10-9-85 AN
34.	Shri S. P. Yadav	103 Aux Bn	12-11-84	71 Bn	17-10-85 AN
35.	Shri Jagbir Singh Tomar	109 Aux Bn	6-11-84	60 Bn	15-9-85 AN
36.	Shri Dharampal Sherawat	—	—	64 Bn	25-3-86
37.	Shri Bharat Singh	102 Aux Bn	7-11-84	55 Bn	1-4-86
38.	Shri Lallan Singh Yadav	on deputation to SSB	Proforma promotion		30-4-86
39.	Shri Jagmal Singh	—	—	65 Bn	6-9-85
40.	Shri Mukhtiar Singh	112 Aux Bn	7-11-84	26 Bn	25-8-85
41.	Shri Net Ram Dankar	102 Aux Bn	7-11-84	49 Bn	10-6-86
42.	Shri Bharat Pal	—	—	79 Bn	14-8-85
43.	Shri B. S. Dev	—	—	7 Bn	15-9-85
44.	Shri G. D. Joshi	—	—	SGC NMH	28-8-85
45.	Shri P. C. Joshi	—	—	1st Sig	28-8-85
46.	Shri Basant Ram	—	—	43 Bn	28-8-85
47.	Shri G. R. Madan	—	—	70 Bn	20-8-85
48.	Shri K. Karunakaran	—	—	83 Bn	19-8-85
49.	Shri G. P. Singh	—	—	81 Bn	31-8-85
50.	Shri N. P. Srivastava	—	—	74 Bn	27-9-85
51.	Shri Gaj Raj Singh	—	—	82 Bn	28-8-85
52.	Shri Matbar Singh	—	—	83 Bn	29-8-85
53.	Shri Ram Singh Aswal	—	—	2nd Sig	26-8-85
54.	Shri Harbhajan Singh	—	—	62 Bn	19-11-85
55.	Shri Sher Singh Katoch	—	—	37 Bn	17-8-85
56.	Shri M. D. S. Panicker	—	—	2nd Sig	20-8-85
57.	Shri Bhagwan Singh	—	—	GC MKG	23-8-85
58.	Shri Chhagan Singh	—	—	62 Bn	16-8-85
59.	Shri Kanhaiya Lal	—	—	81 Bn	29-8-85
60.	Shri Bachha Singh	—	—	10 Bn	28-8-85 AN
61.	Shri U. S. Kanthan	—	—	GC NGR	4-9-85 AN
62.	Shri K. C. Subbahilah	—	—	79 Bn	14-8-85
63.	Shri Jagan Nath Singh	—	—	14 Bn	16-8-85 AN
64.	Shri Mahendra Singh	—	—	64 Bn	6-9-85 AN
65.	Shri Mahesh Nand Bhatt	—	—	85 Bn	14-9-85
66.	Shri Rajendra Prasad	—	—	83 Bn	16-8-85
67.	Shri Jaman Singh	—	—	82 Bn	4-9-85
68.	Shri G. B. Joshi	—	—	82 Bn	22-8-85
69.	Shri H. R. Sharma	—	—	16 Bn	17-8-85 AN
70.	Shri G. P. Singh	—	—	78 Bn	24-9-85
71.	Shri P. Ravindran	—	—	79 Bn	2-9-85
72.	Shri G. P. Singh	—	—	83 Bn	16-8-85

The 31st March 1987

No O II-1585/81 Estt I—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr (Mrs) Kamlesh Saini, General Duty Officer, Grade II of the Base Hospital-I, CRPF, New Delhi with effect from the afternoon of 6-2-1987

No P VII 6/86-Estt I—The President is pleased to appoint on promotion the following Inspectors of CRPF to the post of Deputy S P/Company Commanders/Quarter Masters in a temporary capacity till further orders

2 They took over charge of the post in the Units on the dates indicated against their names —

Sl No	Name of officer	Date of taking over charge	Unit
1.	Shri Harbhajan Singh	24-1-87	38 Bn
2	Shri S B Joshi	13-1-87	82 Bn
3	Shri R. S Vohra	16-1-87	I Sig
4	Shri P S Mohd Yaqub	9-1-87	1st Bn
5	Shri Devi Dutt Joshi	20-1-87	81 Bn
6	Shri R K Sharma	9-1-87	62 Bn
7.	Shri V K Dhyani	9-1-87	RTC II
8	Shri Ram Murti	9-1-87	GC GNR
9	Shri Samai Singh	30-1-87	40 Bn
10	Shri P V Mohanan	27 1 87	12 Bn
11	Shri Mool Chand Patyal	9 1 87	24 Bn
12	Shri N C V Kondanna	9-1-87	69 Bn
13	Shri M Vishnu Das	15-1-87	45 Bn
14	Shri Mukh Ram Singh	9-1-87	RTC-I
15.	Shri Khyali Ram Yadav	23-1-87 AN	42 Bn
16	Shri Jitender Pal Singh	24-3-87 AN	48 Bn
17	Shri Rati Ram Yadav	9 1 87	73 Bn
18	Shri V S Sahi	23 1-87	87 Bn
19	Shri M S Shekhawat	21-2-87	9th Bn
20.	Shri Gian Singh	17-1-87	53 Bn
21.	Shri T. J. Jacob	24-2-87	60 Bn
22.	Shri Gilbert A Ali	9-2-87	RTC-III
23.	Shri H N. Singh	2-2-87 AN	GC Pinjore

ASHOK RAJ MAHEEPATHI,
Assistant Director (Estt)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi 110003, the 30th March 1987

No I 16014(6)/1/85/Pers I—Consequent upon his repatriation to BSF Shri S. C Joshi, relinquished the charge of Assistant Commandant, CISF Unit, CPT, Calcutta on 6-3-87 A N

No E 16014(2)/7 86/Pers I—On appointment on deputation Shri U B S Teotia, Assistant Comdt CRPF, assumed the charge of the post of Comdt, CIFS Unit, BSF Bokaro with effect from the forenoon of the 8th December 1986

D M MISRA
Director General/CISI

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
CURRENCY NOTE PRESS

Nasik Road the 2nd April 1987

No LSC 1-21/44—In continuation of this Office Notification No ESC-1 21/15270 dated 11-10-1986, the General Manager, Currency Note Press, is pleased to extend the appointment of Shri Sohanlal as Stores Officer, Currency Note Press for a further period of six months from 20th March 1987 on adhoc basis or till the regular appointmnet is made, whichever is earlier.

S. D. IDGUNJI
General Manager
Currency Note Press

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I
ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 31st March 1987

No Admn I/Prom /8-132/86-87/203—The Accountant General (Audit) I, Andhra Pradesh is pleased to promote the following Assistant Audit Officer to officiate as Audit Officer in the scale of Rs 2375—75—3200—EB—100—3500 with effect from the date noted against him until further orders

	Name	Date of assumption of charge
1	Shri T S Gopinatha Rao	24-3-197 F N.

The promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any, and is also subject to the result of the writ petition in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court He should exercise this option within one month of his date of promotion in terms of Government of India O.M No F 7/1/80-Estt (Pt I, dated 26-9-1981).

VIJAYA MURTHY
Sr Dy Accountant General (Admn)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I
BIHAR

Patna, the 31st March 1987

No Admn I(Audit)I/20-5 5/1720—The Accountant General (Audit) I, Bihar, Patna has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Assistant Audit Officer in the officiating capacity in the pay scale of Rs 2000—60—2300—EB—75—3200 from the date of taking over the charge as indicated against their names —

Sl. No.	Name	Date of taking over the charge
	S/Shri	
1.	Prabodh Nath Pandey	17-12-86 (F.N)
2.	Shyam Nandan Dubey	16-12-86 (F.N)
3.	Shashi Bhushan Mishra	16-12-86 (F N.)
4.	Narayan Chandra Mukherjee	17-12-86 (F N.)
5	Bishwanath Mishra	17-12-86 (F N)
6.	Hari Narayan Tripathi	18 12-86 (F N)
7.	Baidyanath Thakur	19-12-86 (F.N)
8.	Yajna Narayan Tiwary	15-12-86 (F.N)

Sd/- Illegible
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTT) KARNATAKA

Bangalore 560001, the 11th February 1987

FORM I

No ES I/A1/86 87/365—Notice of termination of Service issued under Rule 5(1) of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, S. T.

KENGHE, ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT) hereby give notice to SHRI M. R. VIJAYA KUMAR—ACCOUNTANT, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of period of One month from the date on which this notice is served on, or as the case may be, tendered to him.

S. T. KENGHE
Signature of the Appointing Authority
Accountant General (A&E)
Karnataka : Bangalore-1

Station : BANGALORE
Date : 11-2-1987

To

Shri M. R. Vijayakumar,
S/o. Shri M. N. Ramamurthy,
No. 10, 'E' Street,
Ashoknagar,
Richmond Town,
Bangalore-560 025.

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt on this day of the Notice of termination from service.

Station : Bangalore
Date :

Signature of the Individual
Designation

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I, WEST BENGAL

The 1st April 1987

No. Admn.I/Confirmation/187/3612.—The Accountant General (Audit)-I, West Bengal has been pleased to appoint the following officiating Audit Officers of this office/office of the Accountant General (Audit)-II, West Bengal in substantive capacity in the grade of Audit Officers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of confirmation
1.	Shri Krishnadas Banerjee	1-12-85
2.	Shri Saradindu Mukherjee	1-1-86
3.	Shri Debdatta Basu	1-3-86
4.	Shri Arun Kanti Dutta	1-4-86
5.	Shri Nirmal Kumar Mukherjee I	1-4-86
6.	Shri Hirendra Nath Roy	29-10-86
7.	Shri Sibnarayan Biswas	1-11-86
8.	Sm. Bithika Roy Chowdhury	1-1-87
9.	Shri Dinesh Kumar Roy	1-3-87
10.	Shri Sunil Kumar Mukhopadhyay	1-3-87

Calcutta-700001, the 24th March 1987

No. Admn.I/Promotion-93/AAO/3656.—The Accountant General (Audit)-I, West Bengal has been pleased to appont the following Section Officers (Audit) as Assistant Audit Officers (Group—B Gazetted post carrying the scale of pay of Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200) in a temporary and officiating capacity with effect from the forenoon of 24th March, 1987.

1. Shri Sibaprasad Banerjee II

2. Shri Anil Kumar Ghosh V

Their promotion is subject to the final outcome of the writ petition now pending before the Central Administratve Tribunal, Calcutta.

The officers will have to exercise option within one month, in terms of para 2(b) of G.I. M H.A. O M. dated 26-9-1981, for either to fix their pay under F.R. 22(a)(i) on the date of promotion and then under F.R. 22-C from the date of next increment in the lower post or under F.R. 22-C on the date of promotion straightway.

S. K. MISHRA
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CHIEF LABOUR COMMISSIONER (GENERAL)

New Delhi, the April 1987

No. Admn. I/4(4)/86(1).—On transfer, Shri M. M. Athisaya Kumar relinquished the charge of office of ALC(C), Bangalore-I on 6-2-86 (FN) and assumed charge in the same capacity at Bangalore-II on 6-2-86 (FN) itself.

No. Admn. I/4(4)/86(2).—On his appointment on deputation in the Deptt. of Atomic Energy, Bombay, Shri G. Narayanaswamy relinquished the charge of office of ALC (C). Dehradun on 3-1-86 (AN).

No. Admn. I/1/4(4)/86(3).—On return from deputation Shri M. J. Mirja assumed charge of the office of ALC(C), Chandigarh-II on 29-4-86(FN).

No. Admn.I/4(4)/86(4).—On transfer, Shri G. R. Baro relinquished the charge of office of ALC(C), Silchar on 12-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Dibrugarh on 19-5-86 (FN).

No. Admn.I/4(4)/86(5).—On transfer, Shri R K. Rustagi relinquished the charge of the office of ALC(C), Rohtak on 6-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Chandigarh on 7-5-86 (FN).

No. Admn.I/4(4)/86(5).—On transfer, Shri John Bage relinquished the charge of office of ALC(C), Dhanbad on 30-4-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Raniganj on 2-5-86 (FN).

No. Admn.I/4(4)/86(7).—On transfer, Shri Khajan Singh relinquished the charge of office of ALC(C), Adipur on 20-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Jammu on 2-6-86 (FN).

No. Adm.I/4(4)/86(8).—On transfer Shri Surai Prakash relinquished the charge of office of ALC(C), Mancherial on 26-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Dehradun on 3-6-86 (FN).

No. Admn.I/4(4)/86(9).—On transfer, Shri J. P. Srivastava ralinquished charge of the office of ALC(C), Raipur on 22-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Nagpur on 26-5-86 (AN).

No Admn. I/4(4)/86(10).—On transfer, Shri D. M. Dhiwal relinquished the charge of office of ALC(C), Hyderabad on 2-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Visakhapatnam on 5-6-86 (AN).

No. Admn. I/4(4)/86(11).—On transfer, Shri M. R. Dash relinquished the charge of the post of ALC(C) from CLC(C)'s Hqrs office on 4-6-86 (FN) and assumed charge in the same capacity at Delhi-I on 10-6-86 (FN).

No. Admn. I/4(4)/8612) —On transfer, Shri M. T. Rughani relinquished the charge of office of ALC(C), Nagpur on 26-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Raipur on 5-6-86 (AN).

No. Admn I/4(4)/8613).—On transfer, Shri O. P. Dhar relinquished the charge of office of ALC(C), Jammu on 30-5-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Ajmer on 11-6-86 (AN).

No. Admn. I/4(4)/86(14) —On transfer, Shri John Tenganamannil relinquished the charge of office of ALC(C), Trivandrum on 25-4-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Bangalore-I on 16-6-86 (FN).

No. Admn I/4(4)/86(15) —On transfer, Shri R M. Chellani relinquished the charge of office of ALC(C), Ajmer on 11-6-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Lucknow on 23-6-86 (FN).

No Admn. I/4(4)/86(16) —On transfer, Shri S. S. Chowdhary relinquished the charge of office of ALC(C), Delhi-I on 10-6-86 (FN) and assumed charge in the same capacity at Bombay on [illegible]-8-86 (FN).

No. Adm. I/4(4)/86(17).—On transfer Shri R. C. Agarwal relinquished the charge of office of ALC(C), Ranchi on 30-6-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Hyderabad on 14-7-86 (FN).

No. Adm. I/4(4)/86(18).—On return from deputation Shri G. Narayanaswamy assumed charge of the office of ALC(C), Trivandrum on 14-8-86 (FN).

No. Adm. I/4(4)/86(19).—On transfer Shri Ramayan Singh relinquished the charge of the post of ALC(C) from CLC(C)'s Hqrs office on 20-8-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Ranchi on 25-8-86 (FN).

No Adm. I/4(4)/86(20).—On transfer Shri C. Sivaramakrishna relinquished the charge of the office of ALC(C), Visakhapatnam on 5-6-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Ernakulam on 26-6-86 (FN).

No. Adm. I/4(4)/86(21).—On transfer Shri R. L. Damor relinquished the charge of office of ALC(C), Dhanbad on 16-1-87 (AN) and assumed charge in the same capacity at Ahmedabad on 23-1-87 (FN).

S. GURAPPA,
Under Secy.

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL, PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS

Bombay-400 020, the 31st March 1987

No. CG/F/14/7(13)/TMR/87/343.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Havanur as Deputy Registrar of Trade Marks (Group 'A' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 1300-1700 on ad-hoc basis in Trade Marks Registry, Bombay with effect from 31st March 1986 (FN), for a period of one year from 31st March 1986 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

R. A ACHARYA, Controller General of Patents, Designs & Trade Marks.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
DEPARTMENT OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 30th March 1987

No. A-19012(232)/87-Estt A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri M. I. Kadim, Superintendent, Indian Bureau of Mines has been promoted to officiate in the post of Assistant Administrative Officer in the Indian Bureau of Mines with effect from the afternoon of 20th March, 1987.

G. C. SHARMA, Asstt. Administrative Officer.

for Controller General
Indian Bureau of Mines.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 24th March 1987

No. A-19012/1/71-Exh.(A).—Shri S. K. Mishra, a permanent Field Exhibition Officer in the Directorate of Advertising & Visual Publicity working as Field Publicity Officer in Directorate of Field Publicity on deputation, expired on the afternoon of 10th January, 1987.

S. L. SINGLA, Dy. Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi-110011, the 24th March 1987

No. A. 11012/1/83-EPI.—The President is pleased to appoint the following Officials of the Central Research Institute Kasauli (H.P) in a substantive capacity to the permanent posts of Asstt. Director (Non-Medical) w.e.f. the date mentioned against each :—

1.	Shri S. M. Saha	w.e.f. 19-4-82
2.	Smt. S. B. Sharma	w.e.f. 19-4-82
3.	Dr. G. Saran	w.e.f. 1-9-82

JESSIE FRANCIS
Dy. Director Administration (Ph.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
PERSONNEL DIVISION

Bombay-400 085, the 1st April 1987

No. W/62/Est.II/1794.—Shri Kishin Sadhuram Wadhwani relinquished charge of the post of Assistant Personnel Officer on 28-2-87 (AN), consequent on superannuation.

K. VENKATAKRISHNAN, Dy Establishment Officer.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 085, the 26th March 1987

No. Ref. DPS/41/18/85-Adm./13963.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Arvindkumar Prabhudas Mavani, a permanent Jr Purchase Assistant and officiating Purchase Assistant to officiate as an Assistant Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 from 3-2-1987 (FN), to 6-3-1987 (AN), in the same Directorate vice Shri A. H. Sadarangani, Asstt. Purchase Officer granted leave.

B. G. KULKARNI, Administrative Officer.

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500016, the 27th March 1987

No. AMD-8/7/85-Rectt./3435.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri J. L. Choudhury, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an ad-hoc basis with effect from the forenoon of 12-1-1987 to 25-2-1987 *vice* Shri L. K. Singha, Assistant Accounts Officer granted leave.

A. W. KHAN, Sr. Admn. & Accounts Officer.

DEPARTMENT OF SPACE
CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560 009, the 16th March 1987

No. 6/39/84-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division; Department of Space, is pleased to appoint Shri B. Eswarappa as Engineer-SB in the Civil Engineering Division, Department of Space, Bangalore in an officiating capacity with effect from the forenoon of 06-1-1986 and until further orders.

K. E. RAVINDRANATHAN, Admn. Officer-II
for Chief Engineer.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 30th March 1987

No. A-19012/1(43)/87-Estt.I.—On the recommendations of the D.P.C. (Gr. B), Chairman, Central Water Commission appoints Shri Sunil Kumar, Supervisor (Wireless) to the grade of Asstt. Engineer (Wireless) in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 in an officiating capacity on regular basis with effect from 28th February 1987.

Shri Sunil Kumar will be on probation for a period of two years w.e.f. 28-2-87.

S. MAHADEVA AYYAR, Under Secy.
for Chairman, C.W.C.

New Delhi, the 27th March 1987

No. A-19012/1088/85-Estt.V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Cammittee (Group-B, Chairman, Central Water Commission appoints Shri Suresh Prasad Singh, Junior Engineer to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Engg.) in the Central Water Commission on a regular basis in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- with effect from the forenoon of 15-5-85 until further orders.

2. The above-mentioned officer will be on probation in the grade of E.A.D./A.E. in the Central Water Commission for a period of two years with effect from the aforesaid date.

The 30th March 1987

No. A-19012/1175/86-Estt.V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri M. S. Hansa, Junior Engineer to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Engg.) on a purely temporary and adhoc basis in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is ealier with effect from the forenoon of 6-3-87.

The 31st March 1987

No. A-19012/1176/86-Estt.V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Samir Kumar Roy, Junior Engineer to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Engg.) on a purely temporary and adhoc basis in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier with effect from the forenoon of 18-8-1986.

No. A-19012/1178/86-Estt.V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Ashok Kumar Chakrabarti, Junior Engineer to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Engg.) on a purely temporary and ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier with effect from the forenoon of 1-9-1986.

M.R. SINGLE,
Under Secy.
Central Water Commission.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 31st March 1987

No. 1/1/69-EC IX.—Shri R. K. Aggarwal, Senior Architect of this Department retires from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st March, 1987.

No. 1/57/69-EC IX.—Shri L. M. Choudhary, Technical Officer of this Department retires from Government Service attaining the age of superannuation with effect from 31-3-1987 (A.N.).

PRITHVI PAL SINGH
Dy. Director of Administration-I

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPTT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Raghavendra Textiles Private Limited

Madras-600 006, the 30th March 1987

No. DN/7927/560(3)/87.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 (3) of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raghavendra Textiles Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Penmen Private Limited

Madras-600 006, the 30th March 1987

No. DN 2022/560(5)/87.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Penmen Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved .

In the matter of Companies Act 1956 and of

M/s. Industrial Management Technical Consulancy Services (India) Private Limited

Madras-600 006, the 30th March 1987

No. DN 7279/560(5)/87.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Industrial Management Technical Consultancy Services (India) Private Limited, has this day been struck off the 'Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Goodwill Bulk Carriers Limited

Madras-600 006, the 30th March 1987

No. DN/5663/560(3)/87.—Notice is hereby given pursuant to subsection (3) of Sec. 560(3) of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goodwill Bulk Carriers Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Athur Kannika Parmeswari Corporation Private Limited

Madras-600 006, the 31st March 1987

No. DN 168/560(5)/87.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Athur Kannika Parmeswari Corporation Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. C. DEV
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Avon Club Limited

Jaipur, the 30th March 1987

No. STAT/1299/1246.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avon Club Limited, has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Farr India Private Limited

Jaipur, the 30th March 1987

No. STAT/1261/1248.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Farr India Private Limited, has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 and of M/s. Anurag Enterprises Private Limited

Jaipur, the 30th March 1987

No. STAT/1736/1251.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anurag Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. P. SINGHAL
Registrar of Companies
Rajasthan, Jaipur

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 10th March 1987

Ref. No. CHD/24/86-87.—Whereas, I,
M. N. A. CHAUDHARY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 1½ storey built house No. 277 (RP-3054), situated at Sector 10-A, Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Chandigarh in Sept. 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. D. R. Bhatia s/o Sh. Sunder Dass Bhatia, r/o H. No. 277, Sector 10-A, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Mrs. Arvinder Kaur Sandhu w/o S. Maninderjit Singh r/o Vill. & P.O. Usma, Teh. Tarn Taran, Distt. Amritsar & Sh. Maninderjit Singh s/o S. Pritam Singh, Vill. & P.O. Usma, Teh. Tarn Taran, Distt. Amritsar.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1½ storey built house No. 277 (RP-3054) Sector 10-A, Chandigarh. (The property as mentioned in the sale deed No. 831 of Sept. 1986 of the registering Authority Chandigarh.).

M. N. A. CHAUDHARY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Ludhiana

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDLR SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING
LUDHIANA

Ludhiana, the 10th March 1987

Ref No SNG/1/86 87—Whereas, I,
M N A CHAUDHARY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing No
½ share of Building (476 sq yds) situated at near Patiala Gate Sangrur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Sangrur in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Promila Kumari Jain Wd/o Pritam Singh Jain R/o Sakna Patiala Gate Sangrur (Transferor)

(2) Sh Bhagwant Rai Goyal s/o Late Jiwa Ram Goyal, Smt Parsini Goyal w/o Sh Bhagwant Rai Goyal, Sh Harish Kumar Goyal s/o Sh Bhagwant Rai Goyal, Smt Neena Goyal w/o Harish Kumar Goyal, Smt Shashi Kathuria w/o Sh Ject Kumar Kathuria r/o Krishna Basti Sangrur & Sh Amit Gupta, Sh Mohit Gupta ss/o Dr Amrit Lal Gupta r/o Power House Road, Bhatinda (Transferee)

(3) State Bank of India Sangrur (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

½ share of Building (476 Sq Yds) near Patiala Gate Sangrur (The property as mentioned in the sale deed No 876 of July, 1986 of the Registering Authority Sangrur)

M N A CHAUDHARY
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Ludhiana

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING
LUDHIANA

Ludhiana, the 10th March 1987

Ref. No. SNG/1A/86-87.—Whereas, I,
M. N. A. CHAUDHARY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
¼ share of Building (476 Sq. Yds.) situated at Near Patiala Gate Sangrur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the
Sangrur in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Preet Mohinder Singh Jain s/o Sh. Pritam Singh Jain R/o Sakna Patiala Gate Sangrur.
(Transferor)

(2) Sh. Bhagwant Rai Goyal s/o Late Jiwa Ram Goyal, Smt. Parsini Goyal w/o Sh. Bhagwant Rai Goyal, Sh. Harish Gyoal s/o Sh. Bhagwant Rai Goyal, Smt. Neena Goyal w/o Sh. Harish Kumar Goyal, Smt. Shashi Kathuria w/o Sh. Jeet Kumar Kathuria R/o Sakna Patiala Gate Sangrur & Sh. Amit Gupta, Sh. Mohit Gupta ss/o Dr. Amrit Lal Gupta r/o Power House Road Bhatinda.
(Transferee)

(3) State Bank of India, Sangrur.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of this said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shal lhave the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

¼ share of Building (476 Sq. Yds.) near Patiala Gate Sangrur. (The property a mentioned in the sale deed No. 877 of July, 1986 of the Registering Authority Sangrur).

M. N. A. CHAUDHARY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Ludhiana

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2431/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No. 11A situate at Palm Avenue, Calcutta-19
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration No. 37EE/Acq.R-III/174 dated 14-7-86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. N. Properties Pvt. Ltd. (Transferor)
(2) M/s. Palm Properties & Traders Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property, withn 45 days from the date of the publcaton of ths notce n the Offical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8A floor. Area 2696 Sq. ft. at 11A, Palm Avenue, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/174 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2432/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 5,00,000/- and bearing No.
11A situated at Palm Avenue, Calcutta-19
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration No. 37EE/Acq.R-III/200 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. N. Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) 1. Smt. Neeta Agarwal.
2. Sri Chandra Bhan Agarwal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7B on 7th floor measuring 1787 Sq. ft. at 11A, Palm Avenue, Cal.-19. Registered before I.A.C., Acq.R-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/200 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2433/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, J. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immable property having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No.
10, Ballygunge Place East, situated at 203, 204, 205A to 207 & 207A, Rash Behari Avenue, 7 & 161 Swinhoe Lane, 8/3 & 43 Mirjapur Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration
No. 37EE/Acq.R-III/174 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe hat the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) of the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by tht issue of this notice under subsection (1) of Sictlon 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kabir Hossain Ahmed. (Transferor)

(2) Seemashree Construction Co. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

50% share of total Area of Land 63 Bighas 19 Cottahs or more situated at various premises at 10, Ballygunge Place East, 203, 204, 205, 205A, 207 & 207A, Rash Behari Avenue, 7 & 161, Swinhoe Lane, 8/3 & 43, Mirjapur Street, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq-R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/199 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA 16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2434/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No.
11A situated at Palm Avenue, Calcutta-19
(and more fully described in the Schedule below
has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962. under Registration No.
No. 37EE/Acq R-III/186 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. N Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Rotomac Electricals Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6-D on 6th floor measuring 2758 Sq. ft. at 11A, Palm Avenue, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq R-III, Cal. vide 37EE/Acq R-III/186 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2435/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 5,00,000/-and bearing No.
216 situated at Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Cal., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration
No. 37EE/Acq.R-III/198 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Asgar Ali Gangjee & Ors. (Transferor)

(2) Bhartia Cutler Hammer Limited. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided proportionate share of land together with a flat measuring 1450 Sq. ft. on the 1st floor being Unit No. 'E' measuring 1450 Sq. ft. at 216, Acharya Jagadish Ch. Bose Registered before I.A.C., Acq.R-III, Cal., vide 37EE/Ac.R-37EE/Acq.R-III/198 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA 16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref No 2436/Acq R-III/Cal/86 87 —Whereas, I,
I K GAYEN,
bearing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 5,00,000/- and bearing No
17 situated at Ballygunge Park Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule below
has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration
No 37EE/Acq RIII/182 dated 14 7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Accurate Investment Company Ltd. & Ors. (Transferor)

(2) Chotatingrai Tea Estate Pvt Ltd (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 2-S Covered area 3750 Sq ft at 17, Ballygunge Park Road, Calcutta-19 Registered before I.A.C., Acq. Range-III, Cal, vide 37EE/Acq R III/182 dated 14-7-86

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date 2-3-87
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2437/Acq.R-III/Cal./86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Rs. 5,00,000/- and bearing No.
11A situate at Palm Avenue, Cal.-19
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration
No. 37EE/Acq.R-III/175 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealent of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. N. Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Mr. Pradeep Kumar Bagaria (H.U.F.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4D on the 4th floor measuring 1927 Sq. ft. at 11A, Palm Avenue, Cal., Registered before I.A.C., Acq.R-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/175 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta 16

Date : 2-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref No. 2438/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 5,00,000/- and bearing No.
14A situate at Gurusaday Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration
37EE/Acq.R-III/190 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :

(1) Rashendra Nath Tagore,
(Transferor)

(2) Koomber Properties & Leasing Company Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that premises comprising an area of 18 Cottahs 8 Chittaks at 14A, Gurusaday Road, Cal-19. Registered before I.A.C., Acq. Range-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/190 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-87
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16

Calcutta, the 2nd March 1987

Ref. No. 2439/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I,
I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No.
17 situate at Ballygunge Park, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration No.
37EF/Acq.R-III/181 dated 14-7-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Accurate Investment Company Ltd. (Transferor)

(2) Ethelword Estate Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2-N on 2nd floor at 17, Ballygunge Park Road, Cal-19. Area 3075 Sq. ft. Registered before I.A.C., Acq R-III, Cal., vide 37EF/Acq.R-III/181 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2440/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No.
situate at P.S. Tollygunge,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962
under Registration No. 37FE/Acq. R-III/201 dated 14-7-86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D o fthe said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sk. Mohammed Hossain Ahmed.
(Transferor)
(2) Seemashree Construction Co. Pvt. Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at P.S. Tollygunge. More particularly describe in the agreement dated 23-4-1986, made between the Transferor and Transferee. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37FE/Acq. R-III/201 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 2-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 2nd March 1987

Ref. No. 2441/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, I. K. GAYEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing No. 7B, situated at Allemby Road, Calcutta-20 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s. 269AB of the said Act read with rule 48DD(4) of Income-tax Rules, 1962 under Registration No. 37EE/Acq. R-III/155 dated 14-7-86 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dey Dutta Enterprises. (Transferor)

(2) M/s. Ross Murraka Finance Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6/1 at 7B, Allemby Road, Cal-20, measuring 1300 Sq. ft. Registered before I.A.C., Acq. R III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/155 dated 14-7-86.

I. K. GAYEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 2-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE,
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR. II B./37EE/35245/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 202 2nd floor, Mangal Smruti, Chitrakar Dhurandhar Road, Khar, Bombay-400 052
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at Bombay on 3-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vandana Traders. (Transferor)

(2) Parvatiben Premkumar Nihalani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 202, 2nd floor, Mangal Smruti, Chitrakar Dhurandhar Road, Khar, Bombay-400 052.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. IIB/37EE/35245/86-87 on 3-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/36349/86-87.—Whereas, I, M S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as he 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 503, 5th Floor, Ocean Bldg., Deccan Co-op. Hsg. Society Ltd., Union Park, Khar, Bombay-52.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay, on 4-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vijayam Narayan. (Transferor)

(2) Shri Mohit Talwar & Others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 503, 5th Floor, Ocean Bldg., Deccan Co-op. Hsg. Society Ltd., Union Park, Khar, Bombay-52.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No AR. II B/37EE/36349/86-87 on 4-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/36522/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 17, 2nd floor, Pragate, 60, J. K. Mehta Road, Santacruz (W), Bombay-54.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at Bombay on 11-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely :—

(1) Mr. Surendra Kumar. (Transferor)

(2) Mrs. Nirmala Pravinkumar Simaria. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 17, 2nd floor, 'Pragate', 60, J. K. Mehta Road, Santacruz (W), Bombay-54.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/36522/86-87 on 11-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE,
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/36615/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 12, Gangotri, 5th Road, Near Fish Market, Khar, Bombay-400 052.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facililitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kaushilyabai P. Motwani. (Transferor)

(2) Harichand A. Matta & Others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 12, Gangotri, 5th Road, Near Fish Market, Khar, Bombay-400 052.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/36615/86-87 on 14-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR II B/37EE/36890/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs 1,00,000/- and bearing
Flat No. 8, 2nd Floor, The Panoramic View Co-op. Housing Society Ltd., 30 Golf Links, Palli Hill Road, Khar, Bombay-400 052
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 25-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Margaret Marcaronhas. (Transferor)

(2) Lee Athside & Laura Athside. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid ptrsons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which over period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, 2nd Floor, The Panoramic View Co-op. Housing Society Ltd., 30 Golf Links, Palli Hill Road, Khar, Bombay-400 052.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/36890/86-87 on 25-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE,
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 3rd March 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/35212/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 14, 4th Floor, 316-B, Dr. Ambedkar Road, Khar, Bombay-52.
(Golden Peak Co.op. Hsg. Ltd.).
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 4-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of tht liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Radhakrishin Vijan. (Transferor)

(2) Smt. Kaushilyabai Parsram Motwani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 14, 4th Floor, 316-B, Dr. Ambedkar Road, Khar, Bombay-52.
(Golden Peak Co. op. Society Ltd.)

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/35212/86-87 on 3-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG, BALLARD ESTATE
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038 the 3rd March 1987

Ref No AR II B/37EE/37057/86-87 —Whereas, I, M S RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 1,00 000/- and bearing No
201, Cupid Apartments', Sabhar Co-op Housing Society Ltd, 66F Linking Road, Santacruz (West) Bombay-400 052, situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 28-7 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Blaze Advertising Private Limited (Transferor)

(2) M/s Mukhti Vohra Builders (Transferee)

Objections if, any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

201, 'Cupid Apartments', Sabhar Co-op Housing Society Ltd, 66E, Linking Road, Santacruz (West), Bombay-400 052

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No AR II B/37EF/37057/86-87 on 28-7-1986

M S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range II B, Bombay

Date : 3-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 5th March 1987

Ref. No. AR. II B/37FE/35246/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 401, Anna Apartments, 14, Main Avenue, Santacruz (W) Bombay-400 054.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 3-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sippy Associates
(Transferor)
(2) Mr. Narendra Kumar Odhrani & Others.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401, Anna Apartments, 14, Main Avenue, Santacruz (W) Bombay-400 054.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37FE/35246/86-87 on 3-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 5-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
ROOM NO. 560, 5TH FLOOR, AAYAKAR BHAVAN,
MAHARSHI VARVE ROAD,
BOMBAY-400 020

Bombay-400 020, the 5th Ma ch 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/36267/86-87.—Whereas, I,
M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 648 of Suburban Scheme No. VII Khar bearing City Survey No. E/1 admeasuring 1194 Sq. Yds. equivalent to 986.3 Sq. Mts. or thereabouts
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 4-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Surendrakumar Harigovind das Bhrugushastri. (Transferor)

(2) M/s. Apex Constructions. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 648 of Suburban Scheme No. VII Khar bearing City Survey No. E/1 admeasuring 1194 Sq. Yds. equivalent to 986.3 Sq. Mts. or thereabouts.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/36267/86-87 on 4-7-86.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 5-3-1987
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
ROOM NO. 560, 5TH FLOOR, AAYAKAR BHAVAN,
MAHARSHI VARVE ROAD,
BOMBAY-400 020

Bombay-400 020, the 5th March 1987

Ref. No. AR. II B/37EE/36412/86-87.—Whereas, I, M. S. RAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 1, Gr. Floor, "Sachin Da Strains", Plot No. 32, Gazdar Park Scheme, North Avenue, Santacruz (W), Bombay-54.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 3-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Aarts Module Inter National P. Ltd. (Transferor)
(2) M/s. National Radio & Electronics Co. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, Gr. Floor, "Sachin Da Strains", Plot No. 32, Gazdar Park Scheme, North Avenue, Santacruz (W), Bombay-54.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II B/37EE/36412/86-87 on 3-7-1986.

M. S. RAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II B, Bombay

Date : 5-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/[(AR.I/12201)/21]86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 43, 2nd Floor, Merry Land, 46, Dr. R. G. Thadani Marg, Worli, Bombay-18.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harish Virbhan Lalla. (Transferor)

(2) Shrimati Jyoti Ramrakhyani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 43, 2nd Floor, Merry Land, 46, Dr. R. G. Thadani Marg, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10593 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I (C), Bombay

Date : 9-7-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/AR. I/11992/10/86-87.—
Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000 - and bearing
Plot No. 112, 4th Lane Hindu Colony at Dadar Survey No. 111/10, Bombay.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at
Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Alka Construction Co. (Transferor)

(2) Shri Valji Kunverji Chheda. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a perod of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and exprossions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 112, 4th Lane Hindu Colony at Dadar, Survey No. 111/10, Bombay.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10523 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I (C), Bombay

Date : 9-7-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/AR.I/12021/12/86-87.—
Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. D-1, 4th Floor, Kaveri Neeta Co. op. Hsg. Socty. Ltd., 519, H.R. Mahajani Marg, Matunga, Bombay-19.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at
Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. B. S. Maniam. (Transferor)

(2) Mrs. Neela Prataprad Mehta. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. D-1, 4th Floor, Kaveri Neeta Co. op. Hsg. Socty. Ltd., 519, H.R. Mahajani Marg, Matunga, Bombay-19.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10532 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I (C), Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IC,
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/[(AR. I/12068)/15].—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 10,00,000/- and bearing No.
17, Ashish Co. Op. Indl. Estate Ltd., Gokhale Road, (South) Dadar, Bombay-400 025.
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at
Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Aartika Shirt Works. (Transferor)
(2) M/s. Yoke Corporation.
(3) N.A. (Person in occupation of the property)
(4) N.A. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

17, Ashish Co. Op. Indl. Estate Ltd., Gokhale Road, (South) Dadar, Bombay-25.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10553 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I (C), Bombay

Date : 9-7-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CONTRACTOR BLDG., BALLARD ESTATE
BOMBAY-400 038

Bombay-400 038, the 9th March 1987

Ref. No. AR. II/37EE. 36625/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA, **being the Competent Authority under Section 269B of the** Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to beileve that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing No. B/5, The Dignity Premises Co.operative Society, Mogul Lane, Mahim, Bombay-16. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at Bombay on 14-7-1986 for an apparent consideration which is less than the fair **market value of the aforesaid property and I have reason to** believe that **the fair market value of the property as aforesaid** exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the** consideration for such transfer as agreed to between the **parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Rajendra Dhundiraj Kale
Mrs. Vidya Madhav Kale.
(Transferor)

(2) Mr. Sunder Tolaram Bhagwari
Mrs. Bharati Sunder Bhagnari.
(Transferee)

(3) Transferor.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/5, The Dignity Premises Co-operative Society, 3rd floor, 36, Mogul Lane, Mahim, Bombay-16.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. II/37EE/36625/86-87 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC,
BOMBAY-38

Bombay-38, the 9th March 1987

Ref. No. AR. IC/37EE/36473/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Unit No.
1st Floor in the building known as 'Harishikesh Apartment', situated at Bombay
Old Prabhadevi, Bombay-25.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 10-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dura Foam Industries Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Indian Bank. (Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning a- given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1st Floor premises in the building known as 'Harishikesh Apartment', Survey No. 874 of TPS No. IV (Mahim Area) Old Prabhadevi, Bombay-25.

The Agreement has been Registered by the Competent Authority, Bombay under No. AR. IC/37EE/36437/86-87 on 10-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/12028/13/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Piece or parcel of Government Leasehold land situated at Ravli Hill Agar, Government Salt Plan Division Sheikh Misri Road, Wadala situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kalpak Development Corporation. (Transferor)

(2) M/s J. K. Chemicals Limited. (Transferee)

(3) N.A. (Person in occupation of the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Piece or Parcel of Government Leasehold land situated at Ravli Hill Agar, Government Salt Plan Division, Sheikh Misri Road, Wadala, Bombay.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10536 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/12062/14/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 603, 6th Floor, Maryland Corner, Plot No. 39, Sion (East), situated at Bombay-400 022
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor, to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Ashok Chandrashekar Vaidya. (Transferor)

(2) Mrs. Vaidehi Ramchandra Dongre. (Transferee)

(3) Self Occupied. (Person in occupation of the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 603, 6th Floor, Maryland Corner, Plot No. 39, Sion (East), Bombay-400 022.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10550 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/12069/16/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 14, 4th Floor, 50-G, Venus Co-op. Hsg. Socty. Ltd., Worli, situated at Bombay-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Aschairjlal Dinanath Vachhar. (Transferor)

(2) Mrs. Queenie Mascarenhas & Others. (Transferee)

(3) Transferors. (Person in occupation of the property.)

(4) Interest lies with transferors only. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 14, 4th Floor, 50-G, Venus Co-op. Hsg. Socty. Ltd., Worli, Bombay-18.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10550-A on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No AR-IC/37EE/ARI/12104/17/86 87 —Whereas I, A K GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing No
101, Appasaheb Marathe Marg, Manisha Apartments, 924, Prabhadevi, situated at Bombay-25
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-71986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from thetransfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Krishna Lalchand Punjabi
(Transferor)

(2) Smt Kavita S Rajpal
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

101, Manisha Apartments, 924, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Bombay-400 025
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S No AR-I/37EE/10560 on 14-7 1986

A K GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

OTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INOCME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/18/AR.I/12113/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1, 11th Floor, Shaan Apartments Kashinath Dhuru Road, Dadar situated at Bombay-28
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument or transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Lachhami B. Budhrani.
(Transferor)
(2) Shri Rajendra Jayantilal Doshi & Another.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) By any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) By any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, 11th Floor, Shaan Apartments, Kashinath Dhuru Road, Dadar, Bombay-28.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10561 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/12166/23/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,00,000/- and bearing
Flat No. A1/7, 3rd Floor, 1st wing of the 'A' Bldg., Samruddhi Co-op. Hsg. Socty. Ltd., B. Parulekar Marg, situated at Bombay-28
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. K. V. Shetye. (Transferor

(2) Mrs. K. M. Sathe & Another. (Transferee

(3) So far occupied by Mrs. K. V. Shetye. (Person in occupation of the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A1/7, 3rd Floor, Ist Wing of Bldg. Samruddhi Co-op. Hsg. Socty. Ltd. B. Parulekar Marg, Dadar, Bombay-28.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-/37EE/10584 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

OTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/11930/7/86-87.—Whereas, I, . K. GUPTA,
eing the Competent Authority under Section 269B of e Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-ble property, having a fair market value
xceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 7, Plot No. 49, II Floor, Venus Co-op. Hsg. Socty. Ltd., R. G. Thadani Marg, Worli, situated at Bombay-18
and more fully described in the Schedule annexed hereto), as been transferred and the same is registered under section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of he Competent Authority
t Bombay on 1-7-1986
for apparent consideration which is less than the air market value of the aforesaid property and I have eason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Shiama Mehta. (Transferor)

(2) Mr. Hari Om Nigam. (Transferee)

(3) Mrs. Shiama Mehta. (Person in occupation of the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, Plot No. 49, II Floor, Venus Co-op. Hsg. Socty. Ltd., R. G. Thandani Marg, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10505 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/12208/22/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 5,00,000/- and bearing No.
Leasehold land admeasuring 742 square yards alongwith structures thereon consisting of a ground floor and three storey building at 323-D, Dr. B. A. Ambedkar Road, Matunga, situated at Bombay-19
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Natvarlal Manilal Shah. (Transfero

(2) Shri Ravindra Natvarlal Shah. (Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said proper may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period o 45 days from the date of publication of this notic in the Official Gazette or a period of 30 day from the service of notice on the respective per sons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Leasehold land admeasuring 742 square yards with structures thereon consisting of a ground floor and three storey building at 323-D, Dr. B. A. Ambedkar Road, Matunga, Bombay-19.
The Agreement has been registered by the Competent Authority Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10596 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/11948/8/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 22-A, 2nd Floor, Dadar Pachim Co-op. Hsg. Socty. Ltd Kashinath Dhuru Road, situated at Bombay-400 028.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-

22—36GI/87

(1) Harish Kumar Jhunjhunwala. (Transferor)

(2) Anil K. Sanghani. (Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 22-A, 2nd Floor, Dadar Pachim Co-op. Hsg. Socty. Ltd., Kashinath Dhuru Road, Bombay-400 028.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under S. No. AR-I/37EE/10510 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC, BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

No. AR-IC/37EE/AR.I/11965/9/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Premises No. 506 situated at Worli in Kakad Chambers, 5th Floor, Kakad Chambers Office & Business Premises Co-op. Hsg. Socty. Ltd., Worli, situated at Bombay-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following

(1) M/s Semiecon Private Limited. (Transferor)

(2) M/s Concord Steel Works Pvt. Ltd. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property.)

(4) The Society. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 506, situated at Worli in Kakad Chambers, 5th Floor, Kakad Chambers Office & Business Premises Co-op. Socty Ltd., Worli, Bombay-18.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No AR.I/37EE/10517 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC, Bombay

Date : 9-3-1987
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/1/86-87/11883.—Whereas, I,
A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 201, 2nd Floor, 'A' Wing at Service Industriol Estate, End of Hind Cycle Road, Adjourning Gopal Nagar, Zopadpatti.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
Seal:

(1) M/s. Neelam Estates. (Transferor)

(2) Abdul Latif Family Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

201, 2nd Floor, 'A' Wing at Service Industrial Estate, End of Hind Cycle Road, Ajourning Gopal Nagar, Zopadatti.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-1/37EE/10486/85-86 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/1/86-87/12022.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. D/2, Kaveri Neeta Co. Op. Hsg. Society Ltd., 519, H. R. Mahajani Marg, Matunga, Bombay-19,
2. Garage No. 4, Ground Floor, Kaveri Neeta Co.op. Hsg. Society Ltd., H. R Mahajani Marg,
Matunga, Bombay-19
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 8-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the by the issue of this notice under sub-on 269D of the said Act, to the following

(1) M. B. S. Maniam. (Transferor)

(2) Shri Umesh P. Mehta. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. D/2, Kaveri Neeta Co.op. Hsg. Society Ltd., 519 H R. Mahajani Marg, Matunga, Bombay-400 019, Garage No. 4, Ground Floor, Kaveri Neeta Co.op Hsg. Society Ltd. Bombay-19.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under S. No. AR-I/37EE/10533 on 8-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/19C/86-87/12136.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 301, Pratiksha Plot No. 7A, Maulana Abdul Gaffar Road, Worli, Bombay-18 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 14-7-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sky Build Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Mr. Mohan Bhalachandra Samant. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 301, 'Pratiksha', Plot No. 7A, Maulana Abdul Gaffar Road, Worli, Bombay-18.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I37EE/10571 on 14-7-1986...

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/AR.I 12193/24/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1, 2nd Floor, F. P. No. 914, Kapadwala Chawl, Off Savani Road, Prabhadevi, Bombay-25
situated at Bombay
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 14-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

in pursuance of Section 269C of the said
ate proceedings for the acquisition of the
by the issue of this notice under sub-
lon 269D of the said Act, to the following
-

(1) M/s. Everest Builders.
(Transferor)
(2) Shailesh Sitaram Bhobe.
(Transferee)
(3) M/s. Everest Builders.
(Person in occupation of the property)
(4) R. D. Education Trust.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, 2nd Floor, F.P. No. 914, Kapadwala Chawal, Off Sayani Road, Prabhadevi, Bombay-25.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-IC/37EE/10591 on 14-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-10
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/2/86-87/AR.I.11886.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,) have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 15, Kailash Bhavan Co op. Hsg Society.,
258, Sion Road, Bombay-22
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. Pradip Chunilal Bosmia.
(Transferor)

(2) Mr.D. S. Pendse & Another.
(Transferee)

(3) The Transferor.
(Person in occupation of the property)

(4) None
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 15, Kailash Bhavan Co.op. Hsg. Society, 258, Sion Main Road, Bombay-22.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-/37EE/10488 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-10
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/AR.I/1190113/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 121, 12th Floor with one car parking space at Antariksha on Kakasaheb Gadgil Marg, Prabhadevi, Bombay situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kalpataru Indo-Saigon Constructions. (Transferor)

(2) Mr. Atul Jagdishchandra Kalra. (Transferee)

(3) None. (Person in occupation of the property)

(4) None. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 121, 12th Floor, Antariksha on Kakasaheb Gadgil Marg, Prabhadevi, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10498 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/AR.I/11896/86-87.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No M-2, Bldg. No. 2, Prathmesh Co.op. Hsg. Socty. Ltd, Along Twin Towers Road, Off Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400 025 situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under Section 269 AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—36GI/87

(1) Mrs. Sheila Guruprakash Mudur & Another.
(Transferor)

(2) Mr. Suresh Trivikram Khanolkar & Another.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. M-2, Bldg. No. 2, Prathmesh Co.op. Hsg. Socty. Ltd. Along Twin Towers Road, Off Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400 025.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10495 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/5/86-87/AR.I/11906.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No
Located at Shivsagar Estate, Flat No. C-304,
Poonam Co.op. Hsg. Socty. Ltd.,
Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Siddique Abdulla Patel. (Transferor)
(2) Shri Dinesh Bachubhai Mashru & Another. (Transferee)
(3) Transferee. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. C-304, Located at Shivsagar Estate, Poonam Co.op. Hsg. Society, Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10501 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IC
BOMBAY

Bombay, the 9th March 1987

Ref. No. AR-IC/37EE/6/86-87/AR.I/11920.—Whereas, I, A. K. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 33, 'Pushkar', Julian Co op. Hsg. Society Ltd., Shivaji Park, Dadar, Bombay-28
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-7-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sharad Moreshwar Joglekar. (Transferor)

(2) Meena Sudhakar Prabhu. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 33, 'Pushkar' Julian Co.op. Hsg. Society Ltd., Shivaji Park, Dadar, Bombay-28.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under S. No. AR-I/37EE/10504 on 1-7-1986.

A. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IC
Bombay

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/37-G/7-86/53.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. E/33, Greater Kailash, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Dutt Parshad Vij and
Smt. Santosh Rani Vij,
27 Navjiwan Vihar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. G. K. Soni and
Smt. Usha Soni,
B-245, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire ground floor of building No. E-33, Greater Kailash-I I, New Delhi comprising of 3 bed rooms with attached baths, kitchen drawing dining 45% undivided share in the plot measuring 300 sq yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4 14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/37-G 7-86/59.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S-373, Greater Kailash-II, situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M. S. Tripathi,
17 892, Lodhi Colony, New Delhi
Karta of HUF.
(Transferor)

(2) Sangeeta Talwar and
Rajeev Talwar
r/o C-379 Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property No. S-373 measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII SR-III/7-86/58.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S-464, Greater Kailash-II, New Delhi situated at
New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Raghunandan Lal Kapur,
S-464, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Malhan Builders through its
r/o Greater Kailash-II,
its partner, Sh. N. J. Malhan,
New Delhi-48.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One room on 1st floor alongwith terrace of building No. S-464, Greater Kailash-II, New Delhi with 60% undivided share in the plot measuring 456.0 sq. mts.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/ 14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/SR-III/7-86/78.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00 000/- and bearing
No. Rear portion of the Ground Floor of S 188,
situated at Greater Kailash-II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(Transferor)

(1) Sh. Nirupama Jain,
E-207, Greater Kailash-II,
New Delhi.

(2) J. C. Gulati Family Trust,
5-B Vandhana Bldg. Tolstoy Marg,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rear portion of the Ground Floor of S-188, Greater Kailash, New Delhi measuring approx 900 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House.
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/SR-III/7-86/75 —
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S-188, Greater Kailash (Basement)-II
situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Nirupama Jain,
r/o E-207, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Gaurav Gulati,
5-B, Vandhana Bldg. Tolstoy, Marg,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Basement of S-188, Greater Kailash Part-II, New Delhi.
Area 900 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9/3/'87
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/SR-III/7-86/87.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 188, Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the considera'ion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Nirupama Jain,
r/o E-207, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) J. C. Gulati HUF,
52/78 Ramjas Road, Karol Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Front portion of the Ground Floor of S-188, Greater Kailash-II, New Delhi measuring approx. 900 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Rod, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/37-G/7-86/54.—Whereas, I, Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S-237, Greater Kailash-II, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the ereduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Santosh Luther,
I-20, Lajpat Nagar-III, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Mex Fair Builders Pvt. Ltd.,
A-3/194, Paschim Vihar,
New Delhi, through its Director
N. S. Daga.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-237 measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Agarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/SR-III/7-86/57.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. E-456, Greater Kailash-II, New Delhi, situated at
New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealcent of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Amrik Singh,
E-456, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) (a) Sh. Ashok Agarwal and
(b) Smt. Madhu Agarwal both r o
E-48, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at E-456, Greater Kailash Part-II, New Delhi measuring 250 sq. yds. and consisting of ground floor mazanine floor and first floor.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Agarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9 3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/R-VII/37-G)/7-86|52.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. A-216, Okhla Industrial Area Phase-I,
situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mukesh Enterprises Pvt. Ltd.,
D-17 South Extension Pt-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) Modi Xerox Ltd.,
Modipuram (U.P.) 250 110.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A-216, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi.
Area 50'x102'—566.67 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Agarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC(Acq)/ R-VII/37-G/7-86/60.—
Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-
No. 1st floor of property No. E-210, situated at Greater
and bearing
Kailash-II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sangeeta Goyal,
M-285, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Jatinder Nath and
Smt .Shanti J. Nath, both r/o
763, Baba Kharak Singh Marg,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1st floor of property No. E-210, Greater Kailash-II, New Delhi. 1/3 of 250 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Agarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9/3/1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I A.C. (Acq)/R-VII/37-G/7-86|246.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act)', have reason to believe that the immovable property having a fair market
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
B-16, West End Colony,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sh. H. C. Thukral
2. Mrs. W. Thukral
3. Sh. Sanjay Thukral,
C-166 Defence Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Raghupati Singhania,
Link House, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi.
(Transferee)

(3) M/s. J. K. Industries Ltd.
Link House, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi.
(Person (s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

B-16, West End Colony, New Delhi.
Area Ground floor—2863 sq. ft.
First floor—2203 sq. ft
Second floor—230 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37-G/7-86/55.—Whereas, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. S-223, Greater Kailash-II,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti,
B-56, Inderpuri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Aarohi Apartments (P) Ltd,
E-207, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-223, Greater Kailash-II, New Delhi area 300 sq. yds.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref No. I.A.C.(Acq)/R-VII/37-GI/7-86|56.—Whereas, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, have a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000|-and bearing No.
First floor of property No. E-245, Greater Kailash-II, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 195- (27 or 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sudershan Aggarwal for self and attorney of Smt Savitri Devi, E-467, Greater Kailash-II, New Delhi. (Transferor)

(2) Anil Jagga, C-77, Defence Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ist floor of property No. E-245 measuring 250 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq) R-VII/37-G/7-86/51.—Whereas, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S-373, (11nd floor), Greater Kailash-II,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—36 GI/87

(1) M. S. Tripathi,
17/892, Lodhi Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Lt. Col. Retd. Raj Kumar Kapoor,
276, DDA Flat, Gulmohar Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this in the Official Gazette.

EXPANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Second floor of property No. S-373, measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/107.—Whereas, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. A-201, 6-Anrangazeb Road, Situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered
with the Competent Authority u/s 269AB of the IT Act 1961 read with rule 48DD (4) of the Income-tax
New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or this said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ansal Properties & Industries (P) Ltd.
115 Ansal Bhawan,
16-KG Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Dhiraj Sarna,
B-4/39, Safdarjung Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-201, 6 Aurangazeb Road, New Delhi. 1839 sft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/100.—Whereas, I,
V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Basement, Ground floor, 1st floor to 3rd floors in plot No. 29, Community Centre, Saket New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and has been registered with Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely :—

(1) Bombay Builders (India) Pvt. Ltd.,
18, Malcha Marg, Commercial Complex,
Diplomatic Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Amrita Nayar,
K-61, Jangpura Extn.
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Basement, Ground floor, 1st floor to 3rd floors in plot No. 29, Community Centre, Saket. 1240 sq. ft. per floor.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/106.—Whereas, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. 101, 1st floor, 5, Bhikaji Cama Place,
situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with the Competent Authority u/s 269AB of the I.T. Act, 1961 read with rule 48 DD-(4) of the Income Tax Rules 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Pankaj Narula
U/G Smt. Snch Narula,
41, North Avenue,
Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Lt.,
Hansalaya, 11th floor,
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 101, 1st floor, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi. Area 535 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37EE/7-86/105.—Whereas, I,
V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 10,00,000/- and bearing No.
Shop No. 107, 1st floor, 5 Bhikaji Cama Place,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sangeeta Narula,
Punjabi Bagh,
41, North Avenue,
New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.,
Hansalaya, 11th floor,
15, Barakhamba Road,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 107, 1st floor, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi
Super build area 471.5 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86|61.—Whereas, I,
V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. 108, Som Datt Chambers, 5, Bhikaji Cama Place, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962 in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Narula Holdings Pvt. Ltd.
402, Gagan Deep,
12, Rajendra Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.
Hansalaya (11th floor),
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 108, Som Datt Chambers, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi.

Super Build area of shop No. 108 is 471-5 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C. (Acq)/R-VII/37EE/7-86/96.—Whereas,
I,
V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. A-302 at 6-Aurangazeb Road,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and has been registered with Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitatin the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ansal Properties & Industries (P) Ltd.,
115, Ansal Bhawan,
16-Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) V. M. Salgaocar & Brother (P) Ltd.,
Salgaocar House, P. B. No. 14,
Vasco da Gama,
Goa-403 802.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-302, at 6-Aurangazeb Road, New Delhi, area 1998 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1.

Date : 9-3-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86|101.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority, under sec. 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. B-1 on Lower ground floor of W-6, situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to beween he parles has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liabillty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acpuisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Allied Cnostruction Company, 26-A, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Ratan Bhansali, A-16, Pamposh Enclave, New Delhi.
(Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-1, on lower Ground floor of W-6, Greater Kailash-II, New Delhi, area 1800 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/102.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. 106, Som Datt Chambers, 5, Bhikaji Cama Place, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Narula Holdings Pvt. Ltd.
402, Gagan Deep, 12, Rajendra Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bhatrat) Ltd.,
Hansalaya (11th floor), 15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a eriod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 106, Som Datt Chambers, 5 Bhikaji Cama Place, New Delhi.
Super Built area of shop of 106 is 503.6 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/98.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop No. 105, 1st floor, Som Datt Chambers, situated at 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuasce of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Janhet Utpadan Pvt. Ltd.,
41, North Avenue, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Dalmia Cement (Bharat) Ltd.
Hansayala (11th floor),
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 105, 1st floor, Som Datt Chambers 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi.

Super built area of shop No. 105 is 497 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC. (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/97.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop No. 104, 1st floor, Som Datt Chambers, situated at 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been registered with the Competent Authority u/s 269AB of the I.T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Narula Cutwirth (India) Pvt. Ltd.
402 Gagan Deep, 12, Rajendra Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.
Hansayala (11th floor),
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 104, 1st floor, Som Datt Chambers, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
Super build area of Shop No. 104 is 497 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/103.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop No. 103, 1st floor, Som Datt Chambers, situated at 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Srishty Udyog Pvt. Ltd.
41, North Avenue, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.
Hansalaya (11th floor),
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 103, 1st floor, Som Datt Chambers, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
The Super build area of Shop No. 103 is 497 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/ R-VII/37-EE/7-86 /114.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 402, No. 6 ,Cama Place, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of this liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Dimple Saboo,
(Opp : L.I.C. Bldg., G.T. Road), Asansol,
(West Bengal).
(Transferor)

(2) M/s. Sitaram Bhartia Institute of Scientific Research,
1101, New Delhi House,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of this said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 402, No. 6, Cama Place, New Delhi, measuring 874 sq. ft. The building is under consideration.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/104.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), **have reason to believe that the immovable** property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. 102, 1st floor, 5, Bhikaji Cama Place, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the same is registered under section 269 AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at
New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Puneet Narula U/G
Smt. Sneh Narula
41, North Avenue,
Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.,
Hansayala (11th floor),
15, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 102, 1st floor, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi. Area 512.1 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq) R-VII/37-EE/7-86/195D.—
Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. D-2 in 1, Hailly Road, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Vice Admiral Khurana and
Mrs. Goindra Khurana,
Banglow No. 1, Janpath, New Delhi.
(Transferee)

(2) M/s. Ansal Properties and Industries (P) Ltd.
115-Ansal Bhawan, 16-Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said imable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

D-2 in 1, Hailly Road, New Delhi, 2492.35 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86|37.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2-1/2 Storeyed house at G-577, Defence Colony,
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
New Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devinder Singh Dang,
C-577, Defence Colony, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Ballarpur Industries Ltd.
Thapar House,
124, Janpath,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2-1/2 storeyed house at C-577, Defence Colony, New Delhi.

Ground floor—1602.93 sq. ft.
1st floor—1602.93 sq. ft.
Barsati floor—403.00 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37-EE/7-86/195-F.—Whereas I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
C-247, Defence Colony, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Rajkumari Prajinder Kaur,
C-247, Defence Colony, New Delhi.
(Transferors)

(2) (i) A. S. Dugar,
(ii) Mrs. Jugesh Duggal,
(iii) Mr. Sarabjit Singh Duggal,
C-501, Defence Colony, New Delhi.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days rfom the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

C-247, Defence Colony, New Delhi, 3,300 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 9-3-1987

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref No I.A.C. (Acq.)/R-VII/37EE/7-86/108.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S-94, Greater Kailash-I situated at New Delhi
(and moe fully described in the Schedule annexed hereto.,
has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I.T. Act, 1961 read with rule 48 DD(4) of the Income-tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chander Kanta
C/o A-6, Ring Road, N.D.S.E.-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Santosh Kumar Bhagat &
Smt. Shakuntala Bhagat
73/1C, Palam Avenue,
Calcutta-700019.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of S-94, Greater Kailash-I, New Delhi 1620 sq. ft. (approx.)

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C.(Acq./R-VII/37EE/7-86/95C.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. E-1 in 1 Hailly Road, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ansal Properties & Industries (P) Ltd.,
115, Ansal Bhawan, 16, K.G. Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Nila Malnar
C/o Ranika Exports,
23, Golf Links,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person instead in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

E-1 in 1 Hailly Road, New Delhi.
1814.92 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C.(Acq)/R-VII/37EE/7-86/112.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
J-4 in 1 Hailly Road, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ansal Properties & Industries (P) Ltd., 115, Ansal Bhawan, 16, K.G. Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Agrind Equipment Services (P), Ltd., 33, Yashwant Place, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

J-4 in 1 Hailly Road, New Delhi.
1600 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Acl. No. I.A.C.(Acq)/R-VII/37EE/7-86/99.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 169, Block-E, Masjit Moth, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I. T. Act, 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surender Nath Gadoke,
S/o Shri Ram Nath Gadoke,
No. 81, Maker Chamber K. Cuffpared,
Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Santokh Singh,
E-155, Masjit Moth, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice** in the Official Gazette or a period of 30 days **from** the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 169, Block-E, Masjit Moth, New Delhi
Measuring 180 sq. mtr.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref No IAC(Acq)/R-VII/37G 7 86 /107 B —Whereas I, V K MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs 1,00,000/- and bearing
No S-113, Greater Kailash-II, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I T Act 1961 read with rule 48 DD (4) of the Income Tax Rules 1962
in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anil Kumar,
4/54 Subhas Nagar,
New Delhi
(Transferor)

(2) Rasool Sahni,
16, Feroz Gandhi Road, Lajpat Nagar,
New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter

THE SCHEDULE

Second floor portion of premises bearing S-113 Greater Kailash-II, New Delhi measuring approx about 1640 sq ft

V. K MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date . 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C.(Acq)/R-VII/37G/7-86/115.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. D/135 Masjid Moth residential scheme, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with the Competent Authority u/s 269AB of the I.T. Act, 1961 read with Rule 48 DD(4) of the Income-tax Rules, 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. I. N. Bhatia,
through his attorney
Dr. Pradeep Bhatia,
Sector 15/1328 Faridabad
(Haryana).
(Transferor)

(2) 1. Shri Ashok Kumar Pahuja
2401 Tilak Street Part Pahar Gunj,
New Delhi.
2. Mrs. Sarita Pahuja,
2401, Tilak Street, Pahar Gunj,
New Delhi.
(Transferee)

(3) Mr. Ashok Kumar Pahuja and
Mrs. Sarita Pahuja.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey residential house No. D/135 Masjid Moth residential scheme, New Delhi. Area 867 sq. ft.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC (Acq)/R-VII/37EE/7-86/45.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Unit 1, Upper Ground Floor,
B-27, Kailash Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with the Competent Authority u/s 269AB of the I.T. Act, 1961 read with Rule 48 DD(4) of the Income-tax Rules, 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arisng from thetransfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, Ihereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Reliance Apartments Pvt. Ltd.,
A-1/149, Inderpuri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri S. D. Aggarwal,
E-45, Panchsheel Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 1, Upper Ground Floor, B-27 Kailash Colony, New Delhi. Three bed rooms with attached baths and store.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VII
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. I.A.C.(Acq)/R-VII/37EE/7-86/43.—Whereas, I, V. K. MANGOTRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Unit No. 1-A, Lower Ground Floor
B-27, Kailash Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and has been registered with the Competent Authority u/s 269 AB of the I.T. Act, 1961 read with Rule 48 DD(4) of the Income-tax Rules, 1962 in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduuction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Reliance Apartments Pvt. Ltd.
A-1/149, Inderpuri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri S. D. Aggarwal H.U.F.,
E-45, Panchsheel Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 1-A, Lower Ground Floor B-27, Kailash Colony, New Delhi consisting of one hall, one kitchen and one servant room.

V. K. MANGOTRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VII
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi-1

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ-IV/37EF/7-86/27.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Commercial flat No. 1002 at Building Amba Deep,
14, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
situated at New Delhi/Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer I.A.C. Acquisition Range-IV Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. K. Satyanarayana
A-41, N.D.S.E.-Part-I,
New Delhi and
2. Mrs. Ninu Jain,
N.D.S.E.-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Pradeep Kumar Varma and
Mrs. Rani Ved Kumari Verma,
86, Jorbagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Commercial flat No. 1002, at building Amba Deep proposed to be constructed on 14, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi Area of the flat 470 sq. ft. of super built up area.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ.IV/37EE/7-86/29.—Whereas, I,
D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
one residential flat No. 4 on 5th floor Adishwar apartments at 34, Ferozeshah Road, New Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer/I.A.C. Acquisition Range-IV Delhi in July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates,
1006, Kanchenjunga, 18, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Hema Mehtani,
R/o C-4/52, Safdarjung Development Area,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of he aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One residential flat No. 4 on 5th floor area 1600 sq. ft. and one open car parking spaces in proposed building (multi-storeyed) Group Housing scheme 'Adishwar Apartments' at 34, Ferozeshah Road, New Delhi.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ-IV/37EE/7-86/33.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Basement in the proposed building on plot nos. 16 & 17 LSC at Madangir, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and is registered under the Income-tax Act, 1961, in the office of the Registering Officer I.A.C. Acquisition Range-IV Delhi on July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Capricon Indul. Ltd., B-4/205, Safdarjung Enclave, New Delhi. (Transferor)

(2) House of Furnishings 44A, Amrita Shergill Marg, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Basement in the proposed building on plots nos. 16 & 17, LSC at Madangir, New Delhi.

D. K. SRIVASTAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, New Delhi.

Dated: 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ-IV/37EE/7-86/34.—Whereas I, D. K. SRIVASTAVA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 4 on 3rd floor, Adishwar Apartments at 34, Ferozeshah Road, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and is registered under the Income-tax Act, 1961, in the office of the Registering Officer/I.A.C. Acquisition Range-IV Delhi in July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of this liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-consideration for such transfer as agreed to between the persons, namely : –

(1) M/s. Kailash Nath & Associates
1006 Kanchenjunga, 18, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.
(Transferor)

(2) Mrs. Sushila Madhavan
B-1/21 Vasant Vihar,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned ,—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein are are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4 on 3rd floor are 1600 sq. ft. in North Tower i.e. rear tower in proposed Group Housing Scheme Adishwar Apartments, at 34, Ferozeshah Road, New Delhi.

D. K. SRIVASTAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, New Delhi.

Dated: 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref No IAC/ACQ/IV/37EE/7-86|36 —Whereas, I, D K SRIVASTAVA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing No Agri land measuring 17 Bighas and 18 Biswas covered by Rectangle No 54, Killa No 4 (4-16), 7(4-10), Rectangle No 27, Killa No 16 Min (3 16), 17/1(2 8) 24/2(2-8) Vill Bijwasan, Tehsil Mehrauli N Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and is registered under the Income-tax Act, 1961 in the office of the registering Officer I A C Acquisition Range-IV Delhi on July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Sandeep Narula (Minor) through his father the natural guardian Sh S. R Narula r/o A-21, Naraina Vihar, New Delhi (Transferor)

(2) M/s Brij Bhushan Bajaj & Sons (HUF) through its Karta Sh Brij Bhushan Bajaj, R/o A-196 Gujranwala Town, Delhi (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 17 bighas and 18 biswas covered by Rectangle No 54 Killa No 4(4 16) 7(4 10) Rectangle no 27, Killa No 16 Min (3-16) 17/1(2-8) 24/2(2 8) with tube-well, fittings and fixtures, two rooms se and a boundary wall with a gate, situated at Village Bijwasan, Tehsil Mehrauli New Delhi

D K SRIVASTAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range IV, New Delhi

Dated 10 3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ-IV/37EE/7-86/37.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Kh. 1018, 1021, 1025, 1027, 1034, 1035, & 1039 measuring 17 bighas & 14 biswas, Vill. Chhattarpur, Tehsil Mehruli, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and is registered under the Income-tax Act, 1961, in the office of the Registering Officer I.A.C. Acquisition Range-IV Delhi on July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Tej Properties Pvt. Ltd., 23-Jor Bagh, New Delhi now 22-Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Sh. Sanjay Bansal, S/o Sh. S. K. Bansal, B-15, Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazettte.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 1018, 1021, 1025, 1027, 1034, 1035 & 1039 measuring 17 bighas & 14 biswas village Chhatarpur Tehsil Mehrauli, New Delhi.

D. K. SRIVASTAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, New Delhi.

Dated: 10-3-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref. No. IAC/Acq V/8-86/37EE/27.—Whereas, I, A. K. MANCHANDA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 204, 17, Comm. Centre, Yusaf Sarai situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I New Delhi on August 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269F of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd., 102-103, Raja House, 30 31, Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Fair Deal Enterprises, F-27, N.D.S.E. Part-I, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION S—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning to given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Allotment of Flat No. 204, on second floor at Bhanot House 17, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi Area 500 sq. ft.

A. K. MANCHANDA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-V, Delhi/New Delhi

Date : 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th March 1987

Ref No. IAC/Acq.II/SR-III/7-86/22.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
exceeding Rs 1,00,000 - and bearing
1/5th share in property, MCD No. 122 on Plot Nos. 75, 76 & 77, Khasra No. 122, Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.A.C. ACQ.-II, New Delhi in July, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

29—36GI/87

(1) Shri Attar Singh S/o
Shri Ballu Ram, R/o
T-1663/1, Kotla Mubarakpur,
New Delhi &
Shri Liley Ram S/o
Shri Ballu Ram, R/o
1791, Kotla Mubarakpur,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Deepak Jain S/o
Shri M. K. Jain, R/o
D.1-A, Green Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/5th share in property, MCD No. 122 on Plot Nos. 75, 76 & part of 77, measuring 500 sq. yds Khasra Nos. 122, Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi.

ASHOK KACKER
Acquisition Range-II, Aggarwal House 4/14-A,
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 25-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-V
3RD FLOOR, 'AGGARWAL HOUSE'
4/14A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref, No. IAC/Acq.-V/37EE/9|86|91-A —Whereas I, A. K. MANCHANDA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
R-7A, Green Prak, New Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961, IAC, Range-V, New Delhi on 11-11-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objec of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for he purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Kamal Developors & Contractors Pvt., Ltd, G-48, Green Park, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Mas Services Pvt. Ltd., AB-4, Safdarjang Enclave, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

R-7A, Green Park, New Delhi.
(Mezemaine Floor 900 sq. ft.).

A. K. MANCHANDA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-V, New Delhi

Date . 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 13th March 1987

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/7-86/38.—Whereas, I, ASHOK KACKER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Half Portion of property bearing Municipal No. 61, Friends Colony, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961, IAC, Range-I, New Delhi on July 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or 'any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpnses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Renu Enterprises, 3540-41 Nicholson Road, Delhi-6, PSB Properties Pvt. Ltd., C-40, Connaught Circus, New Delhi-110 001, (Transferor)

(2) Mohit Jain, 22, Sunder Nagar, New Delhi-3 Surekha Jain, 22, Sunder Nagar, New Delhi-3. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of property bearing Municipal No. 61, Friends Colony, New Delhi alongwith structure thereon.
Free-hold. 1250 sq. yds.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Aggarwal House 4/14-A,
Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 13-3-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 13th March 1987

Ref. No. IAC/Acq-II/37EE/7-86/39.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
B-410, New Friends Colony New Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market vlaue of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Nemi Chand Jain
Sh. Pulak Wardhan Jain, II/0-36,
Lajpat Nagar New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Uma Shankar
Khandelwal Gole Kothi 61/4,
Ramjas Road, Karol Bagh
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

B-410 New Friends Colony New Delhi-110 065 Leasehold, 491.9 sq. yds.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi

Dated: 13-3-87
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 13th March 1987

Ref No IAC/Acq-II/37LE/7-86/40.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No 40, Friends Colony New Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi
on July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Diwan Sham Lal Sawhney,
Diwan Ranjan Sawhney, 40,
Friends Colony New Delhi.
(Transferor)

(2) Straw Products Ltd,
Nehru House, Bahadur Shaht
Zaffar Marg, New Delhi-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 40, Friends Colony (East) New Delhi admeasuring 3840 Sq Yds (3210.7) Sq. Mts. together with main building, Annexe Building, Servant Quarters and garages Freehold.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi.

Dated: 13-3-87
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 13th March 1987

Ref. No. IAC/Acq-II/37EE/6-86/46A.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Located at 30-A, Nathu Ram Friends Colony,
New Delhi situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 New Delhi
in the Office of the Registering Officer
on June, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Mittar Seth
30-A, Nathu Ram
Friends Conoly,
New Delhi-110 065. (Transferor)

(2) Zipper Trading Enterprises Ltd.
305, Skipper Corner,
88, Nehru Place,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Located at 30-A, Nathu Ram Friends Colony, New Delhi-110 065, Free-hold, 1780 sq. mtrs.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 13-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 13th March 1987

Ref. No. IAC|Aq-II|37EE|6-86|46B.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Office space on the 3rd floor at Pratap Bhawan, 5 Bhadur Shah Zaffar Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer
on June, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates
1006, Kanchenjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi. (Transferor)

(2) Master Sidharath Suri
C/o Mr. S. S. Suri,
Secy. Medical Health,
Vikas Bhawan,
Lucknow. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have thesame meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office space measuring 636 sq. ft. on the 3rd floor on the additional space to be constr. at Pratap Bhawan, 5, hBadur Shah Zaffar Marg, New Delhi. Leasehold.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 13-3-1987
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/Acq.III/37EE/7-86/39.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 6A at 9, B. K. Rd. situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961,
I.A.C., Range-III, New Dehli on July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailash Nath & Associates
18, Barakhamba Road,
New Delhi-1.
(Transferor)

(2) Mr. Om Prakash Shroff &
Mrs. Satya Bhama Shroff,
3/7-B, Asaf Alj Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat No. 6A, admeasuring 1600 sq .ft. on the seventh floor and an open car parking space in the multi storeyed group housing scheme at 9, Barakhamba Road, New Delhi.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 13-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
3RD FLOOR
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC|Acq-III|37-EE|7-86|40.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 8 'C', at 9, Barakhamba Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at
I.A.C., Range-III, New Dehli on July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailash Nath & Associates,
18, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Poonam Manshani
A-5/C/28-A, Janak Puri,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat No. 8 'C' admeasuring 1966 sq. ft. on the first floor and an open car parking space in the multi-storeyed group housing scheme at 9, Barakhamba Road, New Delhi.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
3RD FLOOR
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/Acq.III/37-EE/7-86/47.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop No. 9, ABC Khan Market, New Delhi
situated at New Delhi/Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at
I.A.C., Range-III, New Dehli on July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfor with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kaushalya Devi Khanna
93 Sunder Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Sopan Properties (P) Ltd.
17, Community Centre,
New Friends Colony,
Mathura Road,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 9, ABC Khan Market, New Delhi built on land measuring 203 sq. yds. (having 2/3rd undivided share in land).

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissiontr of Income-tax
Acquisition Range-III
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III
3RD FLOOR
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC|Acq III/37EE|7-86|49.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
A residential flat No. 3 'B' situated at 9, Barakhamba Road New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration I. T Act, 1961 in the Office of the registering Officer at
I.A.C., Range-III, New Dehli on July 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tarnsfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 which ought to be disclosed by the transferee for Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailash Nath & Associates
1006, Kanchenjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi-1.
(Transferors)

(2) Bhai Engineering Ltd.
9-A, Amrita Shergill Marg,
New Delhi.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shallhave the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential flat No 3 'B' admeasuring 1600 sq. ft. on sixth floor in multistoryed gr, housing scheme at 9 Barakhamba Road, New Delhi.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ.III/37EE/7-86/50.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
exceeding Rs 1,00,000 -and bearing
Flat No. 2A, at 9, Barakhamba Road, New Delhi situated at New Delhi/Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer/I.A.C. Acquisation Range-III, Delhi in July, 1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kailash Nath & Associates,
18, aBrakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Rajan Kapoor,
A-143, New Friends Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notics on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, **within 45 days from the date of the** publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

A res. flat 2 'A' measuring 1600 sq. ft. on the 5th floor in Nilgiris, 9, Barakhamba Road, New Delhi and a car parking space.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
'Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th March 1987

Ref. No. IAC/ACQ.III/SR-III/7-86/11-A.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
MPL. No. E-34, Units Nos. 13 to 29, Block E, Circus-D, Connaught Place, New Delhi situated at New Delhi/Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer/I.A.C. Acquisn-Place, New Delhi, Area 2000 sq ft.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) of the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

. Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by tht issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Raghubir Saran Charitable Trust, 42, Janpath, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Wisdon Estates (P) Ltd., 3521, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One flat at the second floor over and above Ist floor flat bearing MPL. Nos. E-34, forming part of the building situated at Unit Nos. 13 to 29, Block-E, Circus-D, Connaught Place, New Delhi. area-2000 sq. ft.

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 10-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th March 1987

Ref. No. IACffiAcq. II/37EE/9-86/68.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. B-23A, Friends Colony (West) situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.A.C., ACQ.-II, New Delhi in September, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jasbir Singh, Shri Avtar Singh, Shri Dhara mSingh & Shri Babek Singh, 122, Ashoka Apartments, Nepean Sea Road, Bombay. (Transferor)

(2) Bhatia Apartments P. Ltd., A-18, Kailash Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

B-23-A, Friends Colony, (West), New Delhi, 350 sq. ft.

ASHOK KACKER
Acquisition Range-II, Aggarwal House 4/14-A.
Acquisition Range II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 25-3-1987
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI

New Delhi, the 9th March 1987

Ref No IAC/Acq V/37EE/8-86/28.—Whereas I, A. K. MANCHANDA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. B-7 17, Yusaf Sarai, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T Act, 1961 IAC Range-I New Delhi on August 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd., 102-103, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi. (Transferor)

(2) Mr. Chaman Lal Kapoor & Mrs. Kumari Kapoor F-27, N.D S.E. Part-I, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Allotment of Basement No. 7 at Bhanot House, measuring 500 sq. ft. at Plot No. 17, Comm. Centre, Yusaf Sarai, New Delhi.

A. K. MANCHANDA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Acquisition Range-V, Delhi/New Delhi

Dated: 9-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4, 14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th March 1987

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-III/7-86/23.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
1/5th share in property No. 122, built on Plot Nos. 75, 76 and 77, Khasra No. 122, at Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the registration, Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in July, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of be disclosed by the transferee for (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Attar Singh S/o
Shri Ballu Ram, R/o
T-1663/1, Kotla Mubarakpur,
New Delhi &
Shri Liley Ram S/o
Shri Ballu Ram, R/o
1791, Kotla Mubarakpur,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Royal Properties (P) Ltd.,
D.I.A. Green Park, New Delhi
through Mohinder Kumar Jain,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/5th share in property No. 122 built on Plot Nos. 75, 76 and 77, Khasra No. 122, measuring 500 sq. yds. at Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi.

ASHOK KACKER
Acquisition Range-II, Aggarwal House 4/14-A,
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 25-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th March 1987

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-III/7-86/25.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. 122 built on plot No. 75, 76 & 77, Khasra No. 122, situated at Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in July, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely :—

(1) Shri Attar Singh S/o
Shri Ballu Ram, R/o
T-1663/1, Kotla Mubarakpur,
New Delhi and
Shri Liley Ram R/o
Shri Ballu Ram, R/o
1791, Kotla Mubarakpur,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri M. K. Jain S/o
Shri Gulab Singh, R/o
D.I.A., Green Park, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/5th share Property No. 122 built on Plot No. 75, 76 & 77 measuring 500 sq. yds. Khasra No. 122, situated at Amrit Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi.

ASHOK KACKER
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 25-3-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 25th March 1987

Ref. No, IAC/Acq.II/37-EE/7-86/46D.—Whereas, I, ASHOK KACKER,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the "said Act'), have reason to believe that he immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. A-105 New Friends Colony situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act in the Office of the Registering Officer at New Delhi in Jely, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri O. P. Gupta, R/o 4318 3, Kayasthan Street, 3-Darya Ganj, Delhi. (Transferor)

(2) Shri Kirti Parshad, Shrimati Pamela Parshad and Master Amrish Parshad, R/o 51, Friends Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A-105, New Friends Colony, New Delhi Leasehold Single storey residential house-covered area 800 sq ft. Constructed on Plot of land area 502 5 sq yds.

ASHOK KACKER
Acquisition Range-II
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 25-3-1987
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1985